



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-19082025-265490
CG-AP-E-19082025-265490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947
No. 545] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/ASHADHA 15, 1947

आंध्रप्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम्
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025.

क्रा. सं. सीयूएपी/स्थापना/2024-25/राजपत्र/35 संवर्ग भर्ती नियम (सं.भ.नि.): गैर-शैक्षणिक पद: अक्टूबर-2023

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	सामान्य नियम	4-19

पदों का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	समूह	6ठे कें.वे.आ. के अनुसार कोर वेतन श्रृंखला		7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स	पृष्ठ सं.
			वेतन बैंड (रुपयों में)	ग्रेड वेतन (रुपयों में)		
प्रशासनिक / मंत्रालय सेवाएं						
1	कुलसचिव	क	37400 – 67000	10000	स्तर 14	20
2	वित्त अधिकारी	क	37400 – 67000	10000	स्तर 14	21
3	परीक्षा नियंत्रक	क	37400 – 67000	10000	स्तर 14	22

क्र. सं.	पद का नाम	समूह	6ठे कें.वे.आ. के अनुसार कोर वेतन शृंखला		7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स	पृष्ठ सं.
			वेतन बैंड (रुपयों में)	ग्रेड वेतन (रुपयों में)		
4	उप कुलसचिव	क	15600 – 39100	7600	स्तर 12	23
5	सहायक कुलसचिव	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	24
6	अनुभाग अधिकारी	ख	9300 – 34800	4600	स्तर 7	25
7	सहायक	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	26
8	प्रवर श्रेणी लिपिक	ग	5200 – 20200	2400	स्तर 4	27
9	अवर श्रेणी लिपिक	ग	5200 – 20200	1900	स्तर 2	28-29
10	बहु-कार्य स्टाफ	ग	5200 – 20200	1800	स्तर 1	29
एकल सेवाएं						
11	आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी	क	15600 – 39100	7600	स्तर 12	30
12	जनसंपर्क अधिकारी	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	31
13	विधि अधिकारी	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	32
14	प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	33
15	संपदा अधिकारी	ख	9300 – 34800	4600	स्तर 7	34
सांख्यिकी सेवाएं						
16	सांख्यिकी अधिकारी / अनुसंधान – सह – सांख्यिकी अधिकारी	ख	9300 – 34800	4600	स्तर 7	35
17	वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	36
18	सांख्यिकी सहायक	ग	5200 – 20200	2800	स्तर 5	37
सचिवालयी सेवाएं						
19	निजी सचिव	ख	9300 – 34800	4600	स्तर 7	38-39
20	वैयक्तिक सहायक	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	40-41
21	आशुलिपिक	ग	5200 – 20200	2400	स्तर 4	41
पुस्तकालय सेवाएं						
22	सूचना वैज्ञानिक	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	42-43
23	व्यावसायिक सहायक	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	44
24	अर्ध व्यावसायिक सहायक	ग	5200 – 20200	2800	स्तर 5	45
25	पुस्तकालय सहायक	ग	5200 – 20200	2400	स्तर 4	46
26	पुस्तकालय परिचर	ग	5200 – 20200	1800	स्तर 1	47
तकनीकी/प्रयोगशाला सेवाएं						
27	तकनीकी अधिकारी / अनुरक्षण अधिकारी	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	48
28	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	49
29	तकनीकी सहायक	ग	5200 – 20200	2800	स्तर 5	50

क्र. सं.	पद का नाम	समूह	6ठे कें.वे.आ. के अनुसार कोर वेतन शृंखला		7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स	पृष्ठ सं.
			वेतन बैंड (रुपयों में)	ग्रेड वेतन (रुपयों में)		
30	प्रयोगशाला सहायक	ग	5200 – 20200	2400	स्तर 4	51
31	प्रयोगशाला परिचर	ग	5200 – 20200	1800	स्तर 1	52
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं						
32	सिस्टम मेनेजर / वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट	क	15600 – 39100	7600	स्तर 12	53
33	सिस्टम इंजिनियर / वरिष्ठ अनुरक्षण अभियंता	क	15600 – 39100	7600	स्तर 12	54
34	कनिष्ठ अनुरक्षण अभियंता / नेटवर्किंग इंजिनियर	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	55
35	सिस्टम एनालिस्ट/ प्रोग्रामर/ कंप्यूटर प्रोग्रामर/ सिस्टम प्रोग्रामर	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	56
36	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)/ कनिष्ठ प्रोग्रामर/ सहायक प्रोग्रामर	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	57
37	तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)	ग	5200 – 20200	2800	स्तर 5	58
अभियांत्रिकी सेवाएं						
38	अधीक्षण अभियंता (सिविल) / विश्वविद्यालय अभियंता	क	15600 – 39100	8700	स्तर 13	59
39	अधिशाषी अभियंता (सिविल)	क	15600 – 39100	6600	स्तर 11	60-61
40	अधिशाषी अभियंता (विद्युत्)	क	15600 – 39100	6600	स्तर 11	62-63
41	सहायक अभियंता (सिविल/ विद्युत् / यांत्रिकी)	ख	9300 – 34800	4600	स्तर 7	63
42	कनिष्ठ अभियंता	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	64
राजभाषा सेवाएं						
43	हिंदी अधिकारी	क	15600 – 39100	5400	स्तर 10	65-66
44	हिंदी अनुवादक	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	67-68
45	हिंदी टंकक	ग	5200 – 20200	1900	स्तर 2	68
सुरक्षा सेवाएं						
46	सुरक्षा अधिकारी	ख	9300 – 34800	4600	स्तर 7	69
47	सहायक सुरक्षा अधिकारी	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	70
48	सुरक्षा निरीक्षक	ग	5200 – 20200	2800	स्तर 5	71
49	सुरक्षा सहायक	ग	5200 – 20200	1900	स्तर 2	72
अतिथि गृह / छात्रावास सेवाएं						
50	अतिथि गृह प्रबंधक	ख	9300 – 34800	4200	स्तर 6	73
51	रसोइया	ग	5200 – 20200	1900	स्तर 2	74
52	रसोई परिचर	ग	5200 – 20200	1800	स्तर 1	75

क्र. सं.	पद का नाम	समूह	6ठे कें.वे.आ. के अनुसार कोर वेतन शृंखला		7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स	पृष्ठ सं.
			वेतन बैंड (रुपयों में)	ग्रेड वेतन (रुपयों में)		
53	छात्रावास परिचर	ग	5200 – 20200	1800	स्तर 1	76
यातायात सेवाएं						
54	चालक	ग	5200 – 20200	1900	स्तर 2	77

आंध्रप्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरमू

संवर्ग भर्ती नियम (सं.भ.नि.): गैर-शैक्षणिक: अक्टूबर-2023

विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 26(घ) और "केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009" की दूसरी अनुसूची के परिनियम 12(2)(iv) और 23(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "आंध्रप्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरमू" की कार्यकारिणी परिषद अध्यादेश सं. 2 के अधीन विश्वविद्यालय में गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित करता है।

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

- 1.1 ये नियम "आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरमू के आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय संवर्ग भर्ती नियम, 2023" कहलाएंगे।
- 1.2 ये नियम विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषा:

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- 2.1 'अधिनियम' का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित "केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009" होगा।
- 2.2 'कार्यकारिणी परिषद' का अर्थ आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरमू की कार्यकारिणी परिषद होगा।
- 2.3 विश्वविद्यालय में किसी भी पद के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का अर्थ विश्वविद्यालय के अधिनियम/ परिनियम/ अध्यादेश/ संवर्ग भर्ती नियम/ विनियम के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित उस पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- 2.4 'संवर्ग' का अर्थ सेवा की शक्ति या एक पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा का एक हिस्सा होगा।
- 2.5 'विभागीय अभ्यर्थी' का अर्थ आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में किसी मूल पद पर नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारी होगा, लेकिन इसमें तदर्थ, दैनिक वेतन, अनुबंध या अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारी सम्मिलित नहीं है।
- 2.6 'सीधी भर्ती' का अर्थ है पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन के अलावा की गई भर्ती।
- 2.7 'सरकार' का अर्थ भारत सरकार होगा।
- 2.8 'गैर-शैक्षणिक कर्मचारी' का अर्थ विश्वविद्यालय के शिक्षकों से इतर विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अन्यथा परिभाषित ऐसे अन्य कर्मचारी होंगे।
- 2.9 'नियमित सेवा' का अर्थ संवर्ग में किसी कर्मचारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा से होगा और इसमें संविदा/दैनिक वेतन/अस्थायी/तदर्थ आधार पर सेवा सम्मिलित नहीं होगी।
- 2.10 'अनुसूची' का अर्थ इन नियमों से संलग्न अनुसूची से होगा।

- 2.11 'चयन समिति' का अर्थ विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, यूजीसी विनियम, दिशानिर्देश या संवर्ग भर्ती नियमों में निर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति और विभागीय स्थायीकरण समिति सहित चयन समिति के सदस्यों का एक संयोजन होगा।
- 2.12 विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय स्थायीकरण समिति का अर्थ क्रमशः विभागीय पदोन्नति समिति और विभागीय स्थायीकरण समिति होगा, जैसा कि अनुसूची 2 में परिभाषित है।
- 2.13 'परिनियम', 'अध्यादेश' और 'विनियम' के अर्थ क्रमशः, "केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009" के अंतर्गत विश्वविद्यालय के 'परिनियम', 'अध्यादेश' और 'विनियम' होंगे, जो वर्तमान में लागू हैं और समय-समय पर यथा संशोधित होंगे।
- 2.14 "विश्वविद्यालय" का अर्थ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम "केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019" के अंतर्गत स्थापित "आंध्रप्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय" होगा।
- 2.15 'आयु' का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से होगा।
- 2.16 'अधिसूचित तिथि' का अर्थ अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से होगा।
- 2.17 'यूजीसी' का अर्थ यूजीसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा।
- 2.18 'अ.जा.' का अर्थ अनुसूचित जाति, 'अ.ज.जा.' का अर्थ अनुसूचित जनजाति, 'अ.पि.व.' का अर्थ अन्य पिछड़ा वर्ग, 'दिव्यांग' का अर्थ दिव्यांग व्यक्ति, तथा आ.क.व. का अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होगा।
- 2.19 किसी व्यक्ति के संबंध में 'परिवीक्षाधीन' का अर्थ इन नियमों में यथानिर्दिष्ट किसी भी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त होना होगा।
- 2.20 'मूल नियुक्ति' का अर्थ है इन भर्ती नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उचित चयन प्रक्रिया से की गई नियुक्ति, जिसमें परिवीक्षा पर की गई नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर स्थायीकरण सम्मिलित है।
- 2.21 (ए) 'सेवा या अनुभव' जहां भी इन नियमों के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है, भर्ती का अर्थ किसी भी पद पर नियुक्ति की शर्त में अवधि शामिल होगी, जो व्यक्ति ऐसे निचले पद पर कार्य कर चुका है।
- (बी) पदोन्नति के लिए इन नियमों के तहत जहां भी निर्धारित हो, 'सेवा या अनुभव' का मतलब किसी भी उच्च पद पर पदोन्नति की शर्त में वह अवधि शामिल होगी, कि व्यक्ति ने नियमित आधार पर ऐसे निचले पद पर लगातार कार्य किया हो।
- 2.22 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ इन नियमों के अंतर्गत विभिन्न शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- 2.23 इसमें प्रयुक्त लेकिन इन नियमों में अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, यदि सन्दर्भ अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, जैसा कि "केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009" और इसके अधीन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों अथवा समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो।

3. नियमों की प्रयोज्यता:

- 3.1 ये नियम विश्वविद्यालय द्वारा नियमित/कार्यकाल/प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति के आधार पर गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, जैसी भी स्थिति हो, की सभी नियुक्तियों पर लागू होंगे।
- 3.2 गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और स्वीकार्य परिलब्धियों आदि के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार/यूजीसी द्वारा जारी निर्देश, और कार्यकारिणी परिषद के उचित अनुमोदन के बाद इन नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे।

4. पदों का वर्गीकरण

- 4.1 समूह 'क' (वेतन स्तर 10 और इससे ऊपर)
- 4.2 समूह 'ख' (वेतन स्तर 6 से 9)
- 4.3 समूह 'ग' इसमें बहुकार्य कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे (वेतन स्तर 1 से 5)

5. अनुसूची:

विभिन्न पदों हेतु पदों के वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स, अर्हता का विवरण, अनुभव, भर्ती की विधि, आयु सीमा, आदि सहित पदों की संख्या और इन पदों से संबंधित अन्य सूचनाएं इन नियमों में निर्दिष्ट हैं और इन्हें अनुसूची-1 में संलग्न किया गया है।

6. नियुक्ति प्राधिकारी:

विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	नियुक्ति प्राधिकारी	पद
क.	कार्यकारिणी परिषद	समूह 'क' के सभी पदों की स्थायी नियुक्ति
ख.	कुलपति	1) सभी समूह 'ख' पदों पर स्थायी नियुक्ति 2) सभी समूह 'क' / समूह 'ख' पदों पर अस्थायी नियुक्ति
ग.	कुलसचिव	1) सभी समूह 'ग' पदों पर स्थायी नियुक्ति 2) सभी समूह 'ग' पदों पर अस्थायी नियुक्ति

7. भर्ती की विधि:

विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित विधियों से भर्ती की जाएगी:

- 7.1 सीधी भर्ती
- 7.2 पदोन्नति
- 7.3 प्रतिनियुक्ति/आमेलन
- 7.4 कार्यकाल आधारित नियुक्ति

8. विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत पदों की अधिकृत स्वीकृत संख्या

- 8.1 अधिसूचना के दिन प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत पदों की अधिकृत स्वीकृत संख्या ही अनुसूची-1 में निर्दिष्ट संख्या होगी।
- 8.2 इन नियमों की अधिसूचना के बाद विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत पदों की अधिकृत स्वीकृत संख्या यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित संख्या होगी, और तदनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के उचित अनुमोदन के बाद अधिसूचित की जाएगी।

9. संवर्ग/पदों का भविष्य में अनुरक्षण

- 9.1 इन नियमों की अधिसूचना के बाद विश्वविद्यालय में उपरोक्त नियम -7 के अंतर्गत उल्लिखित भर्ती की विधि से की गई सभी नियुक्तियां केवल इन नियमों के प्रावधान के अनुसार ही की जाएंगी। जब कभी यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय

द्वारा नवीन पद/संवर्ग की स्वीकृति की जाती है, तो कार्यकारिणी परिषद अन्य पदों और/या संवर्ग को इसमें जोड़ सकती है। यूजीसी द्वारा नए पद (पदों) की स्वीकृति के मामले में आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं, जैसे कि ऐसे पदों के भर्ती नियम तैयार करना (जहां आवश्यक हो), पूर्ण करनी होंगी और शिक्षा मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कार्यकारिणी परिषद् यूजीसी को सूचित करते हुए किसी भी पद को समाप्त कर सकती है। हालांकि, किसी भी पद को दूसरे पद में बदलने के लिए यूजीसी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

- 9.2 इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संवर्ग/पद पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता विश्वविद्यालय के कुलसचिव और/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जाएगी। इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों और उसके पदधारियों को किसी भी कार्यालय या प्रतिष्ठान में, जैसा भी मामला हो, कुलपति या कुलसचिव के सामान्य या विशिष्ट आदेश (आदेशों) द्वारा पदस्थापित किया सकता है।

10. प्रारंभिक संविधान

- 10.1 प्रचलित नियमों के अनुसार अर्थात् इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व नियमित आधार पर पद धारण करने वाले कर्मचारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया माना जाएगा।
- 10.2 प्रारंभिक गठन से पहले उप-नियम (1) के अंतर्गत उल्लिखित कर्मियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायीकरण और सेवा में लागू पेंशन योजना हेतु गिना जाएगा।

11. विज्ञापन जारी करने तथा आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया:

I. विज्ञापन जारी करना:

स्थायी प्रकृति के रिक्त पद, विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत पद, जारी रहने की संभावना वाले अस्थायी प्रकृति के पद, कार्यकाल / प्रतिनियुक्ति पदों आदि को उचित समय पर विज्ञापित किया जाएगा, जिसे कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार अर्हता, अनुभव और अन्य आवश्यकताओं के विवरण सहित निर्धारित आवेदन पत्र भर सकते हैं और निर्धारित आवेदन शुल्क, यदि कोई हो, सहित सभी तरह से पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन निर्धारित समय में जमा कर सकते हैं।

ध्यान दें:

(क) विज्ञापन की लागत को कम करने के लिए, विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि सहित भर्ती का केवल आवश्यक विवरण दर्शाया जाएगा। स्थिति की आवश्यकता के आधार पर कुलपति के विवेक पर अंतिम तिथि को केवल वेबसाइट पर अधिसूचित करके बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के साथ निरंतर संपर्क में रहना होगा।

(ख) उपरोक्त पैरा 11(i) में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अपने विवेक पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादि के अनुसार पदों के लिए अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने के लिए रोजगार कार्यालय से अनुरोध कर सकता है।

II. भर्ती प्रक्रिया के लिए समय सीमा

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि विज्ञापन से लेकर लिखित परीक्षा आयोजित करने या साक्षात्कार आयोजित करने सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी हो जाए। (संदर्भ: डीओपीटी का.ज्ञा. सं. 14017/15/2015-Estt.(RR) दिनांक 11.01.2016, जिसे यूजीसी द्वारा विधिवत रूप से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र संख्या F.74-1/2017 (CU) दिनांक 16 अक्टूबर 2017 के माध्यम से अग्रेषित किया गया है)

परन्तु, यदि कुलपति की राय में, परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, वह भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा को अधिकतम छह महीने तक बढ़ा सकता है।

III. आवेदन पत्र

(क) अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा अथवा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।

(ख) सभी पदों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन / ऑफलाइन भुगतान के माध्यम से "आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय" के पक्ष में देय निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप (ऑनलाइन / ऑफलाइन) में ही स्वीकार किए जाएंगे।

(ग) आवेदन पत्र के लिए शुल्क की अनुसूची और निर्धारित शुल्क समय-समय पर कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आवेदन/प्रसंस्करण शुल्क में छूट, जहां कहीं भी प्रदान की जाती है, भारत सरकार के मानदंड के अनुसार होगी।

(घ) अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र:

- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि सामान्यतः विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी होने की तिथि से 30 दिन होगी। तथापि, कुलपति अपने विवेक से, स्थिति की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। अपूर्ण आवेदन, और नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- हालांकि, कुलपति अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि अभ्यर्थी इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करें कि संलग्नक और प्रेषण विवरण, यदि कोई हो, के साथ आवेदन अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि पर या उससे पहले पोस्ट किया गया था।
- यदि अंतिम तिथि को अवकाश है, तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा। अपूर्ण आवेदन और निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क और स्व-प्रमाणित संलग्नक आदि के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

(ङ) आवेदन को "कुलसचिव, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय" को एक बंद कवर में संबोधित किया जाना चाहिए, जिसमें "..... के पद के लिए आवेदन" लिखा हो।

(च) लिखित/कौशल परीक्षा का आयोजन

- सीधी भर्ती के अंतर्गत पदों को भरते समय विश्वविद्यालय सभी समूह "ख" और "ग" गैर-शैक्षणिक पदों के लिए लिखित और/या कौशल परीक्षा आयोजित करेगा।
- लिखित परीक्षा में तार्किक क्षमता, सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान, स्थापना, लेखा और परीक्षा विषयक्षेत्र का ज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में भाषा दक्षता, आदि, जहां लागू हो, टिप्पण एवं प्रारूपण, आदि और/या कौशल परीक्षा, या विश्वविद्यालय द्वारा तय की जाने वाली नौकरी की आवश्यकताओं (जैसे तकनीकी / प्रयोगशाला सेवाओं, इंजीनियरिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय सेवाओं आदि के अंतर्गत पद) के आधार पर अन्य प्रकार की परीक्षा भी सम्मिलित की जा सकती है।
- विश्वविद्यालय दो चरणों में लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है (i) एक अर्हक परीक्षा (प्रश्नपत्र-1) जिसमें 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, और (ii) एक वर्णनात्मक-प्रकार की परीक्षा (प्रश्नपत्र-2) जिसके 100 अंक होंगे।
- प्रश्नपत्र-1 में अर्हता हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 40% प्राप्त करने होंगे। वर्णनात्मक परीक्षा के लिए केवल उन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जो प्रश्नपत्र-1 में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करेंगे। प्रश्नपत्र-2 में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा / साक्षात्कार, जो भी लागू हो, हेतु बुलाया जाएगा।

- कौशल परीक्षा, जहां कहीं लागू हो, के लिए 50 अंक आवंटित होंगे और कौशल परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक 25 होंगे। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची प्रश्नपत्र-1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा) व प्रश्नपत्र-2 (वर्णनात्मक परीक्षा) तथा साक्षात्कार (जहां कहीं लागू हो) में उनके प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने कौशल परीक्षा, जहां भी लागू हो, उत्तीर्ण की हो।

उपरोक्त के होते हुए भी विश्वविद्यालय अपने विवेक पर अभ्यर्थियों की संख्या, नौकरी की आवश्यकताओं (जैसे तकनीकी / प्रयोगशाला सेवाओं, इंजीनियरिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय सेवा आदि के अंतर्गत पद) के आधार पर, जहां भी लागू हो, एकल लिखित परीक्षा (वर्णनात्मक परीक्षा) और कौशल परीक्षा, जहां कहीं लागू हो, आयोजित कर सकता है।

(छ) साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक, जहां कहीं लागू हो, कुल अंकों का 20% होगा और इन्हें मेरिट सूची की तैयारी के लिए प्रश्नपत्र-1 व प्रश्नपत्र-2 में अथवा एकल लिखित (वर्णनात्मक परीक्षा) परीक्षा, जैसा भी मामला हो, में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जाएगा।

(ज) परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने, कौशल परीक्षण, परीक्षा के आयोजन के तौर-तरीके, मूल्यांकन आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी कुलपति होंगे।

(झ) अर्हक अंकों में छूट या परीक्षा में कोई अन्य छूट, यदि आरक्षित श्रेणियों के लिए कोई हो, समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(ण) विश्वविद्यालय अपने विवेक पर समूह "क" गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए इसी प्रकार की उपयुक्त प्रक्रिया अपना सकता है।

12. चयन समिति का संघटन और कार्य:

- 12.1 चयन समिति की संरचना परिनियमों/अध्यादेशों/यूजीसी विनियमों/ अधिसूचनाओं/ दिशानिर्देशों/ संवर्ग भर्ती नियमों की अनुसूची में निर्धारित अनुसार होगी।
- 12.2 चयन समिति की अनुशंसाओं को विचार और उचित कार्रवाई के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 12.3 यदि चयन समिति द्वारा दो या अधिक अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है, तो अनुशंसा योग्यता के क्रम में की जाएगी।
- 12.4 चयन समिति द्वारा किसी भी शर्त के साथ कोई संस्तुति नहीं की जाएगी।

13. योग्यता एवं अनुभव:

योग्यता (अनिवार्य और वांछनीय) और आवश्यक अनुभव अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार होंगे। प्रत्येक पद के लिए अनुसूची में निर्धारित योग्यता न्यूनतम अर्हता होगी।

14. आयु सीमा:

विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी। आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी।

15. पदों का आरक्षण:

- 15.1 विश्वविद्यालय भर्ती/पदोन्नति आदि में विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु, अर्हक अंक, अनुभव/शुल्क आदि से संबंधित आरक्षण/छूट/रियायत के संबंध में भारत सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेगा।

- 15.2 आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी को सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र और/या चिकित्सा प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में दिव्यांगता की सीमा के निर्धारण से संबंधित) की स्व-सत्यापित प्रतियां (जो बाद में सत्यापन के अधीन होंगे) संलग्न करनी होंगी, ऐसा नहीं करने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 15.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई अभ्यर्थी, जिसे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मानक के आधार पर चुना गया हो और जो सामान्य योग्यता सूची में उपस्थित होता हो, उसे अपनी योग्यता वाला अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदु के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अनारक्षित रिक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पर किसी भी छूट के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- 15.4 जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन में एक छूट मानक लागू किया जाता है, उदाहरण के लिए आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रदान की गई सीमा से विस्तारित विचार क्षेत्र आदि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ गिना जाना है। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार के लिए अनुपलब्ध माना जाएगा। हालांकि, दिव्यांग अभ्यर्थियों को दी गई आयु में छूट को आरक्षित पदों में नहीं गिना जाएगा।

नोट: इन नियमों की कोई भी बात केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

यात्रा भत्ते का भुगतान: अभ्यर्थी को अपने स्वयं के व्यय पर निर्धारित स्थान और समय पर साक्षात्कार में भाग लेना होगा। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित बाहरी अभ्यर्थियों को केवल सबसे लघु मार्ग से आने-जाने के रेल किराए (स्लीपर क्लास) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि कोई स्टेशन रेल से नहीं जुड़ा है, तो टिकट प्रस्तुत करने पर सबसे लघु मार्ग से साधारण बस किराए का भुगतान किया जाएगा। उपर्युक्त रियायतें उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में हैं/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय सरकारों/पंचायतों के अंतर्गत कोई अन्य रोजगार धारण किए हुए हैं।

16. छंटनी समिति का गठन और भूमिका:

- कुलपति आंतरिक सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ को सम्मिलित करके एक छंटनी समिति का गठन कर सकते हैं।
- छंटनी समिति के सदस्य-सचिव को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा। सदस्य-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से संबंधित दस्तावेज/नियम/दिशा-निर्देश आदि को छंटनी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- छंटनी समिति आवेदनों की जांच करेगी और विज्ञापन में निर्धारित और भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड के अनुसार अभ्यर्थियों को लघुसूचिकृत करेगी। कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा निदेशक के पदों को छोड़कर, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अनुपात 1:15 से अधिक नहीं होगा। अधिकतम अनुपात की इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, छंटनी समिति अभ्यर्थियों के लिए अपने विवेक पर उच्च मानदंड तय कर सकती है ताकि अभ्यर्थियों की संख्या को कम किया जा सके।
- यदि तीन पात्र आवेदक लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अनुपात को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हों, तो पद को कम से कम दो बार पुनः विज्ञापित किया जाएगा। जिसके बाद विश्वविद्यालय चयन के संबंध में उचित कार्यवाई कर सकता है।
- प्रतिनियुक्ति पर चयन (बिना आमेलन) के मामले में इस शर्त पर जोर नहीं दिया जाएगा। उन पदों के मामले में जिनमें एक सामान्य लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, सभी पात्र अभ्यर्थियों, जो न्यूनतम 3 हों, को अधिकतम निर्धारित अनुपात के होते हुए भी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि लिखित

परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार, जहां भी अपेक्षित हो, के लिए योग्यता क्रम में 1:15 के अधिकतम अनुपात में बुलाया जा सकता है।

- छंटनी समिति (समितियों) अपने विवेक पर, किसी पद के लिए अभ्यर्थी की सशर्त अनुशंसा कर सकती है और अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार जैसा भी मामला हो, से पहले शर्तें पूर्ण करनी होंगी। तब तक आवेदक की अभ्यर्थिता अनंतिम बनी रहेगी।

नोट: कार्यवाहक/प्रभारी कुलपति स्थायी गैर-शैक्षणिक पदों पर कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। तथापि, कार्यवाहक/प्रभारी कुलपति मा.सं.वि.मं (अब शि.मं.) के पत्र एफ.सं.19-58/2014-डेस्क (यू) दिनांक 09/01/2014 के अनुसार अस्थायी पदों की नियुक्ति के लिए एक छंटनी समिति/चयन समिति का संघटन, कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के अधीन, कर सकते हैं।

17. चयन समितियों/ विभागीय पदोन्नति समितियों/विभागीय स्थायीकरण समितियों का गठन*

चयन समितियों और विभागीय पदोन्नति समितियों (डी.पी.सी.)/विभागीय स्थायीकरण समितियों* का गठन अनुसूची-2 में निर्दिष्ट है। कुलपति अपने विवेक पर विश्वविद्यालय में किसी भी पद के चयन/पदोन्नति के समय चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति में संबंधित इकाई के प्रमुख या किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य (इकाई के प्रमुख की अनुपस्थिति में) को सम्मिलित कर सकते हैं। भारत सरकार/यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी अन्य सदस्य/सदस्यों को भी चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जा सकता है।

(*सन्दर्भ: डी.ओ.पी.टी. का.ज्ञा.सं. एबी.14017/21/2011-Estt(RR) दिनांक 10 मई 2013)

कोई व्यक्ति किसी भी चयन/विभागीय पदोन्नति समिति और विभागीय स्थायीकरण समिति के सदस्य के रूप में बैठने के लिए और इन नियमों के अंतर्गत किसी भी चयन/पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि वह किसी अभ्यर्थी से संबंधित है या चयन प्रक्रिया के साथ उसके संबंध के मामले में हितों का कोई टकराव होगा। इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय भारत सरकार के मानदंड के अनुसार चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले संबंधित सदस्य से इस आशय का एक वचन पत्र प्राप्त करेगा।

18. गणपूर्ति:

- 18.1 चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति के लिए यूजीसी विनियमों/ अधिसूचनाओं/ विश्वविद्यालय के परिनियमों/निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित गणपूर्ति समय-समय पर यथा संशोधित यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।
- 18.2 अन्य पदों के लिए उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई एक चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे, जिसमें अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष के नामित (जहां लागू हो), दो विशेषज्ञों में से कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ या तीन विशेषज्ञों में से दो बाहरी विशेषज्ञ और आवश्यकता के अनुसार संबंधित आरक्षित श्रेणी का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा।

19. मुक्त चयन द्वारा सीधी भर्ती:

- 19.1 जहां किसी विशेष गैर-शैक्षणिक पद के संबंध में यूजीसी के दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं या तैयार नहीं किए गए हैं, विश्वविद्यालय अर्हता, अनुभव और कर्तव्यों की प्रकृति आदि को निर्धारित करते हुए पद की आवश्यकताओं और अनुकूलता के अनुसार अपने स्वयं के भर्ती नियम तैयार करेगा।
- 19.2 विश्वविद्यालय में किसी भी नियमित पद पर भर्ती इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित विधिवत गठित चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी।
- 19.3 अध्यक्ष चयन समिति की बैठक में मतदान करने का हकदार होगा और बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देगा।
- 19.4 यदि नियुक्ति के लिए दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है, तो अनुशंसा योग्यता के क्रम में होगी।
- 19.5 सांविधिक पदों के लिए गठित चयन समिति की संस्तुतियां कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी। यदि कार्यकारिणी परिषद चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह

अपने कारण दर्ज करेगी और परिनियमों के अंतर्गत निर्धारित अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

- 19.6 गैर-सांविधिक समूह 'क', 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए चयन समिति की अनुशंसाओं को इन नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचार और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी। यदि चयन समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ऐसी अनुशंसाओं को अस्वीकार करने का कारण दर्ज किया जाएगा। चयन समिति की अनुशंसाओं को अस्वीकार करने की शक्ति कार्यकारिणी परिषद के पास होगी और कार्यकारिणी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

20. वरिष्ठता:

संबंधित संवर्ग में प्रत्येक अभ्यर्थी की वरिष्ठता चयन समिति द्वारा अनुशंसित योग्यता सूची में उसकी स्थिति के आधार पर और भारत सरकार/यूजीसी के प्रासंगिक नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

21. नियुक्ति तथा कार्यग्रहण समय:

- 21.1 अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और चिकित्सा स्वस्थता के अधीन होगी।
- 21.2 विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उस अवधि (जो सामान्यतः एक या दो महीने से अधिक नहीं होगी) का उल्लेख होना चाहिए, जिसके भीतर यदि अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- 21.3 हालांकि, यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर, कार्यग्रहण समय बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी से अनुरोध प्राप्त होता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन तीन महीने से अधिक का विस्तार सामान्यतः नहीं दिया जाएगा। हालांकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल एक अपवाद के रूप में प्रदान किया जा सकता है जहां तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो। किसी भी स्थिति में मूल नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने की तिथि से अधिकतम छह माह तक ही विस्तार दिया जा सकता है। नियुक्ति का प्रस्ताव मूल नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जो अभ्यर्थी उपर्युक्त छह महीने की अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करता है, उसकी वरिष्ठता उस सेवा/पद पर लागू वरिष्ठता नियमों के अंतर्गत बिना किसी वरिष्ठता अवगमन के निर्धारित की जाएगी, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है।

22. भर्ती के सामान्य नियम और शर्तें:

- 22.1 जो अभ्यर्थी पहले से ही सेवा में हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। हालांकि वह अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेज सकता है और यदि उसका आवेदन किसी भी कारण से लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के समय तक अग्रेषित नहीं किया जाता है, तो उसे नियोक्ता से एक सीलबंद लिफाफे में "सतर्कता अनापत्ति सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- 22.2 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा पिछले पांच वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित करना होगा।
- 22.3 अभ्यर्थी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है, उसके लिए निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार अपनी अर्हता का आकलन करे तथा अपना आवेदन विधिवत रूप से भरकर विज्ञापन के अनुसार वांछित जानकारी और दस्तावेज जमा करवाए। अभ्यर्थी के तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना, नकली दस्तावेजों की आपूर्ति, झूठी या भ्रामक जानकारी प्रदान करना या किसी भी अनुचित ढंग को अपनाना उनकी अयोग्यता का कारण बनेगा। यदि भविष्य में किसी भी समय, नियुक्ति के बाद भी, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्र नहीं था, तो इस खंड के अनुसार उसकी नियुक्ति को तत्काल निरस्त किया जा सकता है। यह नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

- 22.4 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकृति रोजगार में शामिल होने के बाद भी किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन होगी। यदि नियुक्ति से पहले या बाद में, जैसा भी मामला हो, कोई भी दस्तावेज गलत/फर्जी/असंगत पाया जाता है तो दस्तावेज को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा अथवा अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिससे उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
- 22.5 किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय के अधिनियम/विधियों/अध्यादेशों/नियमों और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964, सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 या भारत सरकार के किसी अन्य नियम तथा समय-समय पर संशोधित और विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कर्मचारियों के आचरण को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से निर्धारित नियम/संकल्प द्वारा शासित होगा।
- 22.6 अभ्यर्थी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगी। चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने तक, नियुक्ति को अनंतिम माना जाएगा। यदि उनके आचरण, चरित्र, पूर्ववृत्त आदि के संबंध में रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो नियुक्ति को तत्काल रद्द/समाप्त कर दिया जाएगा।
- 22.7 किसी भी अभ्यर्थी की ओर से किसी भी रूप में अपने पक्ष में समर्थन जुटाना अयोग्यता के रूप में माना जाएगा, जिसके कारण संबंधित की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 22.8 एम.एच.आर.डी (अब शिक्षा मंत्रालय) के पत्र संख्या 19-50/2015-डेस्क-यू, दिनांक 22.12.2015 के अनुसरण में, समूह 'ख' और 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। तदनुसार, समूह 'ग' और समूह 'ख' पदों पर नियुक्ति के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा।
- 22.9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व सरकारी अस्पताल/या सरकारी/सीजीएचएस पैनल में शामिल अस्पताल, समूह 'ख' और 'ग' पद के लिए संबंधित सिविल सर्जन या संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक / निदेशक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित चिकित्सा स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा समूह 'क' पद के लिए उसके कार्यग्रहण से पूर्व सरकारी अस्पताल/या सरकारी/सीजीएचएस पैनल में शामिल अस्पताल, जैसा भी मामला हो, के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 22.10 चयनित अभ्यर्थियों को 'नियुक्ति प्रस्ताव' के माध्यम से नियुक्ति नियम एवं शर्तें सूचित की जाएंगी। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार नहीं करता है, तो प्रस्ताव वापस ले लिया गया माना जाएगा।
- 22.11 चयनित अभ्यर्थियों को समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होगा। विश्वविद्यालय किसी भी समय गैर-कार्य घंटों/छुट्टियों के दौरान भी स्थिति की अत्यावश्यकता के अनुसार कोई भी कर्तव्य सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसे कर्मचारी को किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए बिना किसी चूक के करना होगा।
- 22.12 कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, आदि और समकक्ष पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव, चयन समिति का संघटन, निर्धारित कोटा, भर्ती की पद्धति या कोई अन्य पात्रता मानदंड आदि, सीधी भर्ती या पदोन्नति/कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत, जहां कहीं लागू हो, यूजीसी के दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार सख्ती से शासित होंगे। भविष्य में यूजीसी/भारत सरकार की अधिसूचना/विनियमों/दिशानिर्देशों में किसी भी संशोधन को इन नियमों में पहले से ही अपनाए गए और शामिल मौजूदा प्रावधानों के अधिक्रमण में कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया माना जाएगा।
- 22.13 भर्ती के समय विश्वविद्यालय और संबंधित कर्मचारी के बीच एक 'सेवा अनुबंध' निष्पादित किया जाएगा और उसकी एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी। इस तरह के सेवा समझौते पर लागू दरों के अनुसार विधिवत मुहर लगाई जाएगी।
- 22.14 अभ्यर्थी को अपनी आयु, योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र परीक्षा या साक्षात्कार के समय, जहां भी लागू हो, साथ लाने होंगे। यदि अभ्यर्थी अपने आवेदन के संलग्नकों की प्रमाणित छायाप्रति के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो उसे परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस संबंध में किसी भी अन्य संचार के बिना उसकी अभ्यर्थिता को रद्द माना जा सकता है।
- 22.15 (i) रिक्तियों का विवरण विज्ञापन में दर्शाया जाएगा। विश्वविद्यालय उस विशेष वर्ष के कर्मचारी (कर्मचारियों) की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के किसी भी

मामले के संबंध में विवरण भी तत्काल विज्ञापन के रूप में शामिल कर सकता है जिसके लिए कर्मचारी ने विज्ञापन जारी करने से पहले सूचना दी है। विश्वविद्यालय किसी भी कारण से विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि भरे गए पदों की संख्या प्रत्याशित रिक्तियों सहित विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(ii) विश्वविद्यालय किसी पद को भरने के लिए एक आरक्षित पैनल बना सकता है। यदि उच्च योग्यता पर एक अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के भीतर शामिल होने के लिए मना करता है या एक वर्ष की अवधि के भीतर इस्तीफा देता है / मर जाता है, तो अगले अभ्यर्थी (यदि अन्यथा ठीक हो) को योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाएगा, ताकि रिक्त पदों को भरने में होने वाली देरी को कम किया जा सके। ऐसी रिक्ति को नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(सन्दर्भ: डी.ओ.पी.टी. का.जा.41010/18/97-इस्ट.(बी) दिनांक 13 जून 2000)

(iii) विश्वविद्यालय किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(iv) यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी पद के लिए कोई विज्ञापन वापस ले लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों से एकत्र किया गया आवेदन शुल्क उचित समय के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

(v) किसी भी पद के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित किसी भी अस्पष्टता के मामले में, कार्यकारिणी परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

23. पदोन्नति:

23.1 पदोन्नति के लिए विचाराधीन अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तिथि के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंड का पालन करना होगा।

23.2 पदोन्नति कड़े परिश्रम, अच्छे आचरण और परिणाम-उन्मुख प्रदर्शन से अर्जित की जाती है, जैसा कि एपीएआर/एसीआर में दर्शाया गया है। डी.पी.सी. द्वारा वेतन स्तर 11 तक केवल पिछले पांच वर्षों के लिए लगातार "अच्छा (ग्रेड 5)" रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। वेतन स्तर 12 या उससे अधिक के समूह 'क' पद के मामले में केवल "बहुत अच्छा" (ग्रेड अंक 7) रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। भले ही "औसत प्रदर्शन" कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, लेकिन उन्हें पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति के समय विश्वविद्यालय लिखित/कौशल परीक्षा आयोजित कर सकता है और इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार योग्यता अंक निर्धारित कर सकता है, इसके अतिरिक्त योग्यता सेवा की लंबाई के आधार पर पूर्ववर्ती वर्षों में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर का मूल्यांकन होगा। स्क्रीनिंग के अलावा वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट/एसीआर की जांच करते समय, विश्वविद्यालय डी.पी.सी. के विचार के लिए कोई अन्य मानदंड भी तय कर सकता है।

23.3 डी.पी.सी. को कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का आकलन उनके सेवा रिकॉर्ड और पिछले पांच वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट/एसीआर के आधार पर करना चाहिए, जैसा कि ऊपर खंड 23.2 में निर्दिष्ट है।

23.4 यदि एपीएआर/एसीआर में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि है, अथवा एपीएआर/एसीआर में निर्धारित स्कोर के अभाव में, पदोन्नति के मामले पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटा नहीं देता। यदि सक्षम प्राधिकारी प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त नहीं करता है या प्रक्रियाओं के अनुसार प्रदर्शन की समीक्षा के बाद स्कोर में वृद्धि नहीं करता है, तो संबंधित कर्मचारी को इन नियमों के अंतर्गत पद के लिए आवश्यक निर्धारित बेंच मार्क वाली रिपोर्ट की आवश्यक संख्या की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

23.5 पात्रता मानदंड, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट और एपीएआर/एसीआर डोजियर, सभी मामलों में विधिवत रूप से पूर्ण, वरिष्ठता सूची के साथ और योग्य कर्मचारियों की लिखित परीक्षा (यदि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई हो) के परिणाम के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है, के विवरण के साथ रिक्तियों की संख्या, अनु.जा./अनु.ज.जा./दिव्यांग आदि के लिए आरक्षित पदों की संख्या, भारत सरकार के नियमों के अनुसार डी.पी.सी. को विचारार्थ प्रदान की जाएगी।

23.6 "चयन" के मामले में, पात्र अधिकारियों के विचार क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगों के लिए विस्तारित क्षेत्र आरक्षित कोटा के अधीन पदोन्नति के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए डी.पी.सी. द्वारा अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सामान्य क्षेत्र और विस्तारित क्षेत्र भारत सरकार के नियम के अनुसार होगा।

23.7 विभागीय परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी। विभागीय पदोन्नति समिति अधिकारियों का अपना मूल्यांकन करेगी और पदोन्नति के लिए मूल्यांकन किए जाने वाले समूह 'क' वेतन स्तर 11 के सभी अधिकारियों के लिए बेंचमार्क "अच्छा" अर्थात् न्यूनतम अंक 5 तथा वेतन स्तर 12 और इससे अधिक के लिए "बहुत अच्छा" अर्थात् न्यूनतम 7 अंक की योग्यता का निर्धारण करेगी, और तदनुसार, अधिकारियों को केवल 'उपयुक्त' या 'अनुपयुक्त' के रूप में ग्रेड देगी। 'उपयुक्त' ग्रेड प्राप्त अधिकारियों को फीडर ग्रेड में पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में चयन पैनल में जो नियमित रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, फीडर ग्रेड में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में चयन पैनल में, नियमित रिक्तियों की उपलब्धता होने पर, सम्मिलित किया जाएगा। वे कर्मचारी जिन्हें समिति द्वारा 'अनुपयुक्त' ग्रेड दिया गया है, उन्हें चयन पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। 'उपयुक्त' श्रेणी में आने वालों में पदोन्नति में कोई अधिक्रमण नहीं होगा। ग्रेडिंग और स्कोर नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	ए.पी.ए.आर. में ग्रेडिंग प्रणाली तथा स्कोर
I.	"8—10 के बीच" ग्रेड को सर्वोत्तम समझा जाएगा तथा उन्हें नियुक्ति/पदोन्नति हेतु औसत स्कोर के लिए 9 स्कोर दिया जाएगा।
II.	"6—8 के बीच" ग्रेड को 'बहुत अच्छा' समझा जाएगा तथा उन्हें नियुक्ति/पदोन्नति हेतु औसत स्कोर के लिए 7 स्कोर दिया जाएगा।
III.	ग्रेड "4—6 के बीच" ग्रेड को 'अच्छा' समझा जाएगा तथा उन्हें नियुक्ति/पदोन्नति हेतु औसत स्कोर के लिए 5 स्कोर दिया जाएगा।
IV.	4 से नीचे के स्कोर को 'शून्य' समझा जाएगा।

(क) विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक आमतौर पर वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी, जो रिक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ख) प्रशासनिक अधिकारी आमतौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय पदोन्नति समिति को दी गई जानकारी सभी मामलों में सही और उचित क्रम में है और इस आशय का एक प्रमाण पत्र इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित डी.पी.सी. नोट का एक हिस्सा होगा।

(ग) किसी भी प्रकार का दंड (प्रमुख) डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार पदोन्नति या पुष्टि के लिए किसी की पात्रता के लिए रोक होगी। हालांकि, "निंदा" का मामूली दंड पदोन्नति/स्थायीकरण के उद्देश्य के लिए पात्रता और विचार पर तब तक रोक नहीं लगाएगा जब तक कि पात्रता पर इस तरह के प्रतिबंध के बारे में विशेष रूप से आदेश में उल्लिखित न हो।

(घ) निम्नलिखित मामलों को डी.पी.सी. के ध्यान में लाया जाएगा:

(i) निलंबित कर्मचारी;

(ii) जिनके संबंध में आरोप पत्र जारी किया गया है और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है; तथा

(iii) जिनके संबंध में आपराधिक आरोप के लिए अभियोजन लंबित है।

डी.पी.सी. अनुशासनात्मक पहलू की परवाह किए बिना उनकी उपयुक्तता का आकलन करेगा। डी.पी.सी. की कार्यवाही में दर्ज तथ्य के अनुसार डी.पी.सी. के निष्कर्षों को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। अनुशासनात्मक/आपराधिक मामलों के समाप्त होने तक बाद डी.पी.सी. द्वारा उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मामले की समाप्ति पर सीलबंद लिफाफे को खोला जाएगा। यदि अधिकारी पूरी तरह से बरी हो जाता है, तो उसकी पदोन्नति की नियत तारीख निर्धारित की जाएगी और उसे अपने कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में और यदि आवश्यक हो तो कनिष्ठतम स्थानापन्न व्यक्ति को वापस करके काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी तय करेगा कि बकाया वेतन का भुगतान किस हद तक और कब तक का किया जाएगा। जहां

बकाया से इनकार किया जाता है, वहां कारण दर्ज किए जाएंगे। यदि दोषमुक्त नहीं किया जाता है, तो सीलबंद लिफाफे के निष्कर्षों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ड) डी.पी.सी. द्वारा मंजूरी के बाद शंकायुक्त अधिकारियों के मामलों का निपटारा भारत सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

24. डी.पी.सी. के कार्य:

24.1 विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) समूह क, ख और ग कर्मचारियों के सभी मामलों में विचार करेगी और सिफारिशें करेगी। विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए डी.पी.सी. का गठन विश्वविद्यालय के संवर्ग भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

24.2 पदोन्नति मामलों पर विचार करते समय विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी:

- (i) समय-समय पर लागू नियमों/अधिनियमों/परिनियमों/अध्यादेशों/विश्वविद्यालय विनियमों/यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों और भारत सरकार के नियमों के प्रावधान।
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग श्रेणियों के लिए लागू पात्रता मानदंड और छूट/रियायतें।
- (iii) कार्य और आचरण रिपोर्ट
- (iv) सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध वार्षिक संपत्ति विवरणी (ए.पी.आर.) के साथ पिछले पांच वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर। वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर की जांच करते समय डी.पी.सी. बेंचमार्क के संबंध में नियमों/अध्यादेशों/ भारत सरकार के नियम में उल्लिखित मानदंड भी अपना सकती है।
- (v) सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट
- (vi) भारत सरकार/यूजीसी की आरक्षण नीति के अनुसार संवर्ग के रोस्टर अंक।
- (vii) साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा में प्रदर्शन, यदि विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित किया गया हो।
- (viii) डी.पी.सी. से आशा की जाती है कि वह मामलों की जांच करने और एपीएआर/एसीआर, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट, रोस्टर, भर्ती नियम आदि जैसे उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय करेगी।

नोट: यदि नामित प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष अवधि की एपीएआर/एसीआर लिखी/भेजी नहीं गई हो, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित कर्मचारी इन विशेष अवधि(यों) की विधिवत रूप से भरी हुई स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित अनुभाग में प्रस्तुत करने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है, डी.पी.सी./छंटनी समिति उस विशेष अवधि(यों) की रिपोर्ट की उपेक्षा करेगी और तुरंत पूर्ववर्ती अवधि(यों) की रिपोर्ट पर विचार करेगी। नामित अधिकारी की ओर से इस उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले संबंधित रजिस्टर में प्रविष्टि करना अनिवार्य है और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रमाण के रूप में संबंधित कर्मचारी को उचित रसीद जारी करना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने तक एपीएआर/एसीआर के प्रत्येक पत्राचार के संबंध में संबंधित रजिस्टर में उचित प्रविष्टि होगी।

25. पदोन्नति की प्रणाली:

25.1 विश्वविद्यालय को भर्ती नियमों के अनुसार पात्र आंतरिक अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटा का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि अभ्यर्थी आंतरिक कोटा के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हैं और पदों को विश्वविद्यालय के हित में सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है, तो भविष्य की रिक्ति को पदोन्नति कोटा के अनुपात में स्थानांतरित किया जा सकता है और फीडर संवर्ग से पात्र आंतरिक अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में, पदोन्नति कोटे के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए डी.पी.सी. की आवश्यकता होगी।

- 25.2 पदों के लिए पदोन्नति की शर्तों के अलावा, जैसा कि ऊपर 23 में निर्दिष्ट है, विश्वविद्यालय किसी भी श्रेणी के पदों के संबंध में पदोन्नति के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया तय कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय अपने विवेक पर, उपयुक्तता-सह-वरिष्ठता का विकल्प चुन सकता है या लिखित परीक्षा या अन्य ट्रेड/व्यवसायिक परीक्षण आयोजित कर सकता है और किसी भी पद के लिए योग्यता अंक निर्धारित कर सकता है ताकि उद्देश्यपूर्ण तरीके से योग्यता का आकलन किया जा सके। ऐसे मामलों में, कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ का सहयोग अनिवार्य होगा।
- 25.3 केवल पात्रता शर्तों को रखने से कर्मचारी अपनी पात्रता की तारीख से अगले उच्च पद पर पदोन्नत होने का हकदार नहीं होगा। वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) / एसीआर, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, कर्मचारियों की योग्यता का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जा सकता है। कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित डी.पी.सी. की संस्तुतियों के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।
- 25.4 समूह 'क', 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी पदोन्नतियां कार्यरंभ की तारीख से प्रभावी होंगी।
- 25.5 अवर श्रेणी लिपिक, प्रवर श्रेणी लिपिक, सहायक, अर्द्ध-व्यावसायिक सहायक, पुस्तकालय सहायक तथा समय-समय पर चिन्हित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए कम्प्यूटर ज्ञान के साथ टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, कम्प्यूटर के ज्ञान के साथ टंकण टेस्ट/कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होना विश्वविद्यालय के सभी वैयक्तिक सहायकों, जिन्हें सीधी भर्ती के लिए निर्धारित इन नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार निजी सचिव के रूप में पदोन्नति के लिए विचार जाना है, के लिए अनिवार्य आवश्यकता होगी। विश्वविद्यालय भविष्य में पालन करने के लिए किसी भी शर्त को लागू कर सकता है, जिसके विफल होने पर सक्षम प्राधिकारी वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश दे सकता है।

26. तदर्थ पदोन्नति:

यदि कोई मौजूदा रिक्ति है और फीडर संवर्ग में पदोन्नति के लिए कोई पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किसी कर्मचारी को तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने के लिए अपने विवेक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक छूट पर विचार कर सकता है। जैसा कि ऊपर नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तथापि, यदि संबंधित कर्मचारी को नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है तो इस व्यवस्था को एक वर्ष से अधिक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. पैनल:

पदोन्नति/सीधी भर्ती के लिए तैयार किया गया पैनल सामान्यतया डी.पी.सी. की बैठक की तिथि/संस्तुतियों के अनुमोदन की तिथि से क्रमशः एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

28. संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) /करियर उन्नति योजना (सीएएस) /गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना

विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में करियर उन्नति योजनाओं जैसे एमएसीपी /सीएएस /डीएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की अनुमति विश्वविद्यालय के अधिनियम/विधियों/अध्यादेशों, नियमों और आदेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अपनाए गए यूजीसी/भारत सरकार के दिशानिर्देश (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

(क) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार की संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपी), यूजीसी द्वारा कार्यान्वयन के लिए विधिवत सूचित, 01.09.2008 से या भारत सरकार/यूजीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार, जो भी बाद में हो प्रभावी होगी। इसी प्रकार, चिकित्सा अधिकारी के मामले में, गतिशील

सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (डीएसीपी) समय-समय पर भारत सरकार/ यूजीसी के द्वारा निर्धारित अनुसार लागू होगी।

(ख) वेतनमान के उन्नयन के मामले में संयुक्त कुलसचिव या समकक्ष के स्तर तक कुलसचिव छंटनी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। कुलपति कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./दिव्यांग/अल्पसंख्यकों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों को यूजीसी/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नामित करेंगे।

(ग) उपरोक्त करियर उन्नति योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई भी विवाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जाएगा और यूजीसी का निर्णय अंतिम होगा।

29. प्रतिनियुक्ति

विश्वविद्यालय यूजीसी / भारत सरकार के नियमों के अनुसार भारत सरकार / स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी भी पद को भर सकता है। वेतन स्तर -14 से नीचे के किसी भी पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारी की आयु 56 वर्ष से कम और वेतन स्तर -14 और उससे अधिक की आयु 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि संवर्ग भर्ती नियमों के अंतर्गत पद के लिए निर्धारित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाती है, तो पदधारी को भारत सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित अवधि या जब तक वह उस विशेष संवर्ग के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (सांविधिक पदों को छोड़कर) शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए की जा सकती है जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में उनका प्रदर्शन, अखंडता या आचरण किसी भी स्तर पर असंतोषजनक पाया जाए, तो विश्वविद्यालय के पास सांविधिक पदधारियों सहित सभी पदधारियों को किसी भी समय निर्धारित अवधि से पहले भी वापस भेजने का अधिकार होगा।

सामान्यतः प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय के किसी भी पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को आमेलित करने का निर्णय लिया जाता है, तो विश्वविद्यालय संबंधित कर्मचारी का विकल्प प्राप्त करने के बाद सहमति के लिए उसके मूल संगठन के साथ इस शर्त के अधीन मामला उठा सकता है बशर्ते कि विज्ञापन में विशेष रूप से आमेलन के बारे में उल्लेख किया गया हो। मूल विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद मामले को अंतिम निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। यदि वह विश्वविद्यालय में आमेलित हो जाता है, तो उसे भारत सरकार के नियमानुसार उस विशेष संवर्ग की निचली वरिष्ठता सौंपी जाएगी।

30. परिवीक्षा:

30.1 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी को इन नियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। परिवीक्षा की निर्धारित अवधि या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के संतोषजनक समापन की तिथि से अगली तिथि को सेवा पुष्टि की जानी चाहिए। परिवीक्षाधीन की पुष्टि करने या परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का निर्णय जैसा भी मामला हो, सामान्य रूप से 6 से 8 सप्ताह के भीतर परिवीक्षाधीन को सूचित किया जाना चाहिए। परिवीक्षा को एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में, किसी कर्मचारी को परिवीक्षा की सामान्य निर्धारित अवधि के दोगुने से अधिक के लिए परिवीक्षा पर नहीं रखा जाना चाहिए। यह माना जाएगा कि अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है यदि निर्धारित परिवीक्षा की सामान्य अवधि की दोगुनी अवधि की समाप्ति के बाद आठ सप्ताह के भीतर अधिकारी की पुष्टि, सेवामुक्त करने या वापस लाने का कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है। परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, कर्मचारियों को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, नियमित आधार पर नियुक्तियों में बनाए रखा जाएगा और उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, उनकी पुष्टि की जाएगी। इन सबके बावजूद भी सुधार न होने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस देकर अथवा नोटिस के एवज में एक माह का वेतन भुगतान करने पर उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी। संबंधित कर्मचारी भी एक महीने का नोटिस देकर त्यागपत्र देने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, कर्मचारी इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित होंगे।

- 30.2 अगले उच्च समूह में पदोन्नति के मामले में, कर्मचारी(कर्मचारियों) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक पर, गैर-प्रदर्शन, कदाचार या दुर्यवहार के आधार पर परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है या यदि वह उस पद पर नियुक्ति के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, जिस पर वह पदोन्नत किया गया था। यदि इन सब के बावजूद कोई सुधार नहीं होता है, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके मूल पद पर वापस कर दिया जाएगा, और परिणामस्वरूप इस कर्मचारी की पदोन्नति के कारण परिणामी रिक्तियों के समक्ष पदोन्नत सभी कर्मचारियों को उनके संबंधित मूल पदों पर वापस कर दिया जाएगा। यदि उन्हें किसी अन्य समान रिक्त पदों पर समायोजित नहीं किया जा सकता है। तथापि, एक ही समूह में पदोन्नति के लिए कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

नोट:

- (i) यदि कोई कर्मचारी, जिसे किसी पद पर भर्ती/पदोन्नत किया गया है, परिवीक्षा की अवधि के दौरान टुकड़ों में या एक ही बार में दो महीने या उससे अधिक की अवधि के अवकाश का लाभ उठाता है, तो उसकी परिवीक्षा अवधि को अनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा, अर्थात् संबंधित कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की कुल अवधि के बराबर।
- (ii) किसी भी विषम स्थिति से बचने के लिए अधिकारियों के परिवीक्षा के सभी मामलों की हर छह महीने में समीक्षा की जानी चाहिए। यदि किसी अधिकारी के प्रदर्शन की समीक्षा का परिणाम असंतोषजनक पाया जाता है, या अपेक्षित स्तर तक नहीं है, तो उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के परिणामों से अवगत कराया जाएगा। ऐसा मूल्यांकन अग्रिम रूप से जारी किया जाना चाहिए जिसके बाद संबंधित अधिकारी के प्रदर्शन को लगातार निगरानी में रखा जाना चाहिए।
- (iii) उपर्युक्त प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के दौरान निलम्बित किया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि को उस अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी परिस्थितियों में उचित समझे।
- (iv) जहां तक अस्थायी सरकारी सेवकों का संबंध है, उन्हें नियम के रूप में, मूल विभाग/कार्यालय से कार्यमुक्त होने के समय मूल विभाग/कार्यालय से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए। आवेदन को अग्रेषित करते समय इस आशय का एक वचन पत्र लिया जा सकता है कि आवेदन किए गए पद पर उनके चयन और नियुक्ति की स्थिति में वे मूल विभाग/कार्यालय से त्यागपत्र दे देंगे। इस प्रक्रिया का पालन उसी संगठन में एक पद के लिए सीधी भर्ती के रूप में आवेदन करने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में भी किया जाना है।
- (v) विभागीय स्थायीकरण समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के कर्मचारी को स्थायी किया जाएगा।
- (vi) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को उसके पद पर तब तक स्थायी नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह 'सेवा अनुबंध' पर हस्ताक्षर नहीं कर देता।
- (vii) किसी पद पर प्रतिनियुक्ति, कार्यकाल या सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन पर नियुक्त कर्मचारी के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
- (viii) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षाधीन की नियुक्ति को समाप्त करते समय या परिवीक्षा की सामान्य अवधि के विस्तार करते समय इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

31. भारत सरकार के नियम/यू.जी.सी. के विनियम का अनुपालन:

यदि इन नियमों के अंतर्गत भर्ती और पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए योग्यता से संबंधित कोई विशेष प्रावधान मौन है, तो संबंधित नियम भारत सरकार/यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता भारत सरकार/यूजीसी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू करेगी।

इसके अलावा, विभिन्न पदों के लिए अनुसूचीयों में निहित वेतन मैट्रिक्स को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार/यूजीसी नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

32. छूट देने की शक्ति:

32.1 आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./दिव्यांग या किसी अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूजीसी/ भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार आयु, अनुभव, योग्यता अंक आदि में छूट दी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी से जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। जहां भी यूजीसी/ भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंकों के प्रतिशत सहित योग्यता में छूट की अनुमति हो, छंटनी समिति की संस्तुतियों के अधीन उपयुक्त मामलों में इस तरह की छूट पर भी विचार किया जाएगा।

32.2 आयु में छूट निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में भी दी जाएगी जैसा कि प्रत्येक के सामने उल्लिखित है:

क्रमांक	व्यक्तियों की श्रेणी	आयु सीमा में छूट
1.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा संचालित मानद विश्वविद्यालय/अन्य केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकाय/संगठन/संस्थान के नियमित कर्मचारी	भारत सरकार के नियमानुसार यथा प्रदत्त भारत सरकार के कर्मचारियों के समान
2.	पूर्व सैनिक	

समूह 'ग' पदों की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय में तीन वर्ष की निरंतर नियमित सेवा प्रदान की है, सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक की छूट है।

33. अयोग्यता:

व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियां विश्वविद्यालय में किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे :

33.1 जो किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है;

33.2 जो विकृत दिमाग और संदिग्ध आचरण का व्यक्ति है या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ नहीं है।

33.3 जिसने जीवित पति या पत्नी वाले व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है;

बशर्ते कि विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हैं कि इस तरह के विवाह को ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के संचालन से छूट दी जा सकती है;

33.4 जो भारत का नागरिक नहीं है; तथा

33.5 भारत सरकार / यूजीसी द्वारा समय-समय पर नियुक्ति के लिए अयोग्य व्यक्ति की कोई अन्य श्रेणी।

34. सतर्कता अनापत्ति:

34.1 अभ्यर्थी जो पहले से ही सेवा में हैं, उन्हें नियोक्ता या उनके अधिकृत अधिकारी से इस आशय का सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक / आपराधिक कार्यवाही लंबित या विचारित नहीं है। इसे सीधे मूल विभाग द्वारा भेजा जाएगा या आवेदन के साथ लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय सीलबंद लिफाफे में संबंधित कर्मचारी को सौंप दिया जाएगा।

34.2 अभ्यर्थी के रूप में या अन्यथा पात्रता से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी या किसी भी दस्तावेज को जानबूझकर छिपाना, उसके बाद फर्जी दस्तावेजों की आपूर्ति या आवेदन में भ्रामक बयान या जानकारी या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या उपलब्धियों, जाति, शिक्षा, योग्यता, अनुभव या अधिवास, आदि से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान के मामले में विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी को मामले की जांच करने और भर्ती प्रक्रिया या रोजगार के किसी भी स्तर पर आगे की कार्यवाही के लिए कुलपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति होगी। यदि इनमें से कोई भी कार्य सही पाया जाता है, तो अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या यदि पहले से ही नियुक्त किया गया है, तो प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद उसकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।

34.3 सं.भ.नि. की अनुसूची 2 के पैरा 10 के प्रावधानों के बावजूद, जहां कहीं भी किसी संवर्ग में केवल एक स्वीकृत पद है, वह पद केवल सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।

35. कठिनाईयों का निवारण :

यदि इन नियमों के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन या संचालन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन से कुलपति, समय-समय पर ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देश, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होते हों लेकिन भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, कानून, अध्यादेश या निर्देश के प्रावधानों के असंगत नहीं हों, जारी कर सकते हैं।

36. व्याख्या:

नियमों के किसी भी खंड के संबंध में कोई अस्पष्टता या स्पष्टता की कमी के मामले को स्पष्टीकरण के लिए यूजीसी को भेजा जाए।

37. नियमों में संशोधन

किसी एक या इन सभी नियमों के प्रावधान में संशोधन, परिवर्तन, वापसी, निलंबन और छूट भारत सरकार/यूजीसी के पूर्वानुमति से किये जायेंगे।

38. शेष मामले:

इन नियमों में निर्दिष्ट या संदर्भित नहीं होने वाले मामलों के संबंध में, यूजीसी द्वारा अपने कर्मचारियों को लागू या भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों से संबंधित समय-समय पर संशोधित प्रावधान लागू होंगे। यदि इन नियमों में कोई विशेष प्रावधान विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमों/अध्यादेशों/यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान के विरोध में है, तो अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/यूजीसी विनियम/दिशानिर्देश के प्रावधान प्रबल होंगे।

39. भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए अधिकारियों का दायित्व:

गैर-शिक्षण कर्मचारी और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

40. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार:

किसी भी विवाद के मामले में, न्यायनिर्णयन के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार "आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय" होगा।

41. निरसन:

इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सभी मौजूदा नियम और आदेश निरस्त हो जाएंगे लेकिन ऐसे मौजूदा नियमों और आदेशों के अनुसार पहले से की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के अंतर्गत की गई मानी जाएगी।

अनुसूची-1

कुलसचिव

1	पद का नाम	कुलसचिव
2	पद संख्या	1 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 14
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	वरीयत: 57 वर्ष से कम
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य: i) स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55% अंक अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां के प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड ii) शैक्षणिक स्तर 11 और उससे अधिक में सहायक प्रोफेसर के

		रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या शैक्षणिक स्तर 12 और उससे ऊपर में सह प्रोफेसर के रूप में 8 वर्ष की सेवा सहित शैक्षिक प्रशासन में अनुभव अथवा अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव अथवा 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष उप कुलसचिव अथवा समकक्ष पद के रूप में हो
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पांच वर्ष** के कार्यकाल या सेवानिवृत्ति अर्थात् 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए (उचित चयन प्रक्रिया की अनुपालना के बाद पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति: अर्हता एवं अनुभव: कॉलम 7 में दर्शाये अनुसार ग्रेड: सदृश पद धारण करते हों या वेतन स्तर-12 पर आठ वर्ष का अनुभव धारण करते हों चयन समिति: कॉलम 12 के अनुसार।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	अधिनियम/परिनियम/यूजीसी अधिसूचना के अनुसार

****नोट:** केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के खंड 44 संक्रमणकालीन उपबंध – इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी –

(क) -----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की एक अवधि के लिए पदधारण करेंगे।

वित्त अधिकारी

1	पद का नाम	वित्त अधिकारी
2	पद संख्या	1 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 14
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	वरीयत: 57 वर्ष से कम
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य: i) स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55% अंक अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां के प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड ii) शैक्षणिक स्तर 11 और उससे अधिक में सहायक प्रोफेसर के

		रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या शैक्षणिक स्तर 12 और उससे ऊपर में सह प्रोफेसर के रूप में 8 वर्ष की सेवा सहित शैक्षिक प्रशासन में अनुभव अथवा अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव अथवा 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष उप कुलसचिव अथवा समकक्ष पद के रूप में हो
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पांच वर्ष** के कार्यकाल या सेवानिवृत्ति अर्थात् 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए (उचित चयन प्रक्रिया की अनुपालना के बाद पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति: अधिमानत: भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवाओं या केंद्रीय/राज्य सरकार में अन्य समान संगठित सेवाओं के आहरण अधिकारियों, जो स्तर 12 से कम पर कार्यरत नहीं हो, से अथवा विश्वविद्यालय प्रणाली / अन्य संगठन के अधिकारी, जो कि कॉलम 7 में दी गई अर्हता पूरी करते हों, को प्रतिनियुक्ति पर 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रतिनियुक्ति। नोट: प्रतिनियुक्ति हेतु चयन समिति वही होगी जो कॉलम 12 में है।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	अधिनियम/परिनियम/यूजीसी अधिसूचना के अनुसार

****नोट: केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के खंड 44 संक्रमणकालीन उपबंध – इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी –**

(क) -----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की एक अवधि के लिए पदधारण करेंगे।

परीक्षा नियंत्रक

1	पद का नाम	परीक्षा नियंत्रक
2	पद संख्या	1 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 14

5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	वरीयतः 57 वर्ष से कम
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य: i) स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55% अंक अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां के प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड ii) शैक्षणिक स्तर 11 और उससे अधिक में सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या शैक्षणिक स्तर 12 और उससे ऊपर में सह प्रोफेसर के रूप में 8 वर्ष की सेवा सहित शैक्षिक प्रशासन में अनुभव अथवा अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव अथवा 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष उप कुलसचिव अथवा समकक्ष पद के रूप में हो
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पांच वर्ष के कार्यकाल या सेवानिवृत्ति अर्थात् 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए (उचित चयन प्रक्रिया की अनुपालना के बाद पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति: अर्हता एवं अनुभव: कॉलम 7 में दर्शाये अनुसार ग्रेड: सदृश पद धारण करते हों या वेतन स्तर-12 पर आठ वर्ष का अनुभव धारण करते हों चयन समिति: कॉलम 12 के अनुसार।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	अधिनियम/परिनियम/यूजीसी अधिसूचना के अनुसार

उप कुलसचिव

1	पद का नाम	उप कुलसचिव
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 12
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	50 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: i. स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55% अंक अथवा जहां

		भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां के प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड ii. सहायक कुलसचिव या समकक्ष पद पर वेतन स्तर 10 में पांच वर्ष का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	आयु: लागू नहीं शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	एक वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	75% सीधी भर्ती द्वारा 25% पदोन्नति द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (संदर्भ: मा.सं.वि.सं. पत्र सं.1-7/2015-U.11 (2) दिनांक 02/11/2017)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: सहायक कुलसचिव के पद पर स्तर-11 में पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति: केंद्र / राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पदधारी या स्तर 11 में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ या स्तर 10 में आठ वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सहायक कुलसचिव

1	पद का नाम	सहायक कुलसचिव
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: i. स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55% अंक अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां के प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड। ii. सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करके अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाएगी।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	आयु: लागू नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं, लेकिन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	दो वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% पदोन्नति द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती द्वारा

11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव (वेतन स्तर-7 या अधिक) के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा। लिखित परीक्षा के आधार पर फीडर संवर्ग में से अपेक्षित अनुभव वाले पात्र अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर चयन। प्रतिनियुक्ति: केंद्र / राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अथवा निचले ग्रेड के मामलों में स्तर 7 / स्तर 8 में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

अनुभाग अधिकारी

1	पद का नाम	अनुभाग अधिकारी
2	पद संख्या	विश्वविद्यालय की यूजीसी द्वारा अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 7
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: i) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि। ii) किसी भी केंद्रीय / राज्य सरकार / विश्वविद्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य केंद्रीय या राज्य स्वायत्त संस्थानों में स्तर 6 में सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या स्तर 4 में प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक की वार्षिक कारोबार वाले किसी भी प्रतिष्ठित निजी कंपनी / बैंक में समकक्ष पद धारण करना। iii) कंप्यूटर संचालन, टिप्पण और प्रारूपण में प्रवीणता
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	आयु: लागू नहीं शैक्षिक अर्हता: हाँ (कॉलम 7 में यथा उल्लिखित)
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	दो वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	75% सहायक के संवर्ग से पदोन्नति द्वारा, जो कि विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्ति के अधीन होगी, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 25% सीधी भर्ती द्वारा (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/	पदोन्नति: स्तर 6 में सहायक के फीडर ग्रेड से 05 वर्ष की नियमित सेवा, जो कि उपरोक्त कॉलम 7 में शैक्षणिक अर्हता के साथ वरिष्ठता-

	प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	सह-उपयुक्तता के अधीन है। प्रतिनियुक्ति: केंद्र / राज्य सरकार विश्वविद्यालय या स्वायत्त संगठन में सदृश पदधारी अथवा स्तर 6 या समकक्ष में नियमित आधार पर या तीन वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी और ऊपर दिए गए कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित स्नातक उपाधि।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सहायक

1	पद का नाम	सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	पदोन्नति के मामले में गैर-चयन आधारित सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक उपाधि। केंद्र/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अन्य केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों में स्तर-4 में प्रवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष पद पर तीन वर्ष का अनुभव या कम से कम रु. 200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाली प्रतिष्ठित निजी कंपनियों/कॉर्पोरेट बैंकों में समकक्ष वेतन पैकेज। टंकण, कंप्यूटर अनुप्रयोग, टिप्पण एवं प्रारूपण में प्रवीणता।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	आयु: लागू नहीं शैक्षिक अर्हता: हाँ (कॉलम 7 में यथा उल्लिखित)
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: प्रवर श्रेणी लिपिक स्तर 4 में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

प्रवर श्रेणी लिपिक

1	पद का नाम	प्रवर श्रेणी लिपिक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन शृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 4
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: 1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2. केंद्र/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अन्य केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों में अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष पद पर दो वर्ष का अनुभव या कम से कम रु. 200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाली प्रतिष्ठित निजी कंपनियों/कॉर्पोरेट बैंकों में समकक्ष वेतन पैकेज। 3. अंग्रेजी टंकण में गति @ 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टंकण में गति @ 30 शब्द प्रति मिनट 4. कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	75% पदोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती द्वारा (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक / हिंदी टंकक पद पर पांच वर्ष नियमित सेवारत को वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

**भविष्य में करियर में प्रगति के उद्देश्य से हिंदी टंकक के पद को अवर श्रेणी लिपिक के साथ सबसे नीचे की वरिष्ठता में जोड़ा जाएगा तथा दोनों संवर्गों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता बरकरार रखी जाएगी।*

अवर श्रेणी लिपिक

1	पद का नाम	अवर श्रेणी लिपिक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार

3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन शृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 2
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित कॉलम 10 (iii) के लिए गैर-चयन सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (ii) अंग्रेजी टंकण @ 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टंकण @ 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट से अभिप्राय कंप्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजीदाब करते हुए क्रमशः 10500 कुंजीदाब प्रतिघंटा और 9000 कुंजीदाब प्रतिघंटा)। (iii) कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	i) 85% रिक्तियां लिखित परीक्षा और एमएस ऑफिस के विभिन्न घटकों, विशेषतः एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, आदि में कौशल परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। ii) 10% रिक्तियां में समूह 'ग' के स्तर 1 कर्मचारियों, जिनके पास सीनियर सेकेंडरी (10+2) या समकक्ष योग्यता है और जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, के आधार पर विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। ऐसी परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है** नोट: पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। iii) पदोन्नति: स्तर 1 में पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले समूह 'ग' (एमटीएस) के कर्मचारियों से 5% रिक्तियों को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा, बशर्ते कि वे शैक्षणिक अर्हता (10 + 2) को पूरा करते हों। एमटीएस से एलडीसी के पद पर पदोन्नति के लिए कौशल/टंकण परीक्षा में छूट डीओपीटी के दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.ओ.14020/1/2014-स्था.(डी) के अनुसार शासित होगी।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाना है	कॉलम 10 के अनुसार

12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार
----	-----------------------------------	---

****नोट: केवल वे ग्रुप-सी (स्तर-1) कर्मचारी, जो एमटीएस/एकल पदों पर कार्यरत हैं, विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से एलडीसी के पद के लिए पात्र माने जाएंगे।**

बहु-कार्य स्टाफ

1	पद का नाम	बहु-कार्य स्टाफ
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 1
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। अथवा आई टी आई उत्तीर्ण
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	लिखित और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से सीधी भर्ती।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी

1	पद का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर-12
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं

6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	56 वर्ष (प्रतिनियुक्ति पर)
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति: केंद्र / राज्य सरकार में लेखापरीक्षा और लेखा सेवाओं या अन्य समान संगठित लेखा सेवाओं से संबंधित आहरण अधिकारी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों। अथवा किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय में लेखापरीक्षा एवं लेखा के क्षेत्र में स्तर-11 या समकक्ष में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ। अथवा किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय में स्तर-10 या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

जनसंपर्क अधिकारी

1	पद का नाम	जनसंपर्क अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन शृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पत्रकारिता और जनसंचार में 55% अंकों या इसके समकक्ष यूजीसी के 7 अंक पैमाने में कम से कम ग्रेड बी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि; - अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में बोलने की उत्कृष्ट कमान के साथ एबीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी स्थापित अंग्रेजी / क्षेत्रीय समाचार पत्र, राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों, रेडियो या टेलीविजन, फिल्म मीडिया, प्रतिष्ठित विज्ञापन एजेंसियों के संपादकीय विभाग / केंद्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा	लागू नहीं

	शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

विधि अधिकारी

1	पद का नाम	विधि अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन शृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य योग्यता: i) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से एलएल.बी. तथा सिविल/आपराधिक/सेवा मामलों में न्यायालय में विधिक अभ्यास का कम से कम 7 वर्ष का विधिवत प्रमाणित अनुभव। ii) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से एलएल.एम., जिसमें कम से कम 55% अंक या ग्रेड पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड पॉइंट हो।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2023 (अनुसूची II) के अनुसार

प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी

1	पद का नाम	प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अर्हता (i) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से एमबीए (एचआर)/बी.टेक. न्यूनतम 55% अंकों के साथ या ग्रेड पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड पॉइंट के साथ। (ii) किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में प्रशिक्षण/नियोजन के क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2023 (अनुसूची II) के अनुसार

संपदा अधिकारी

1	पद का नाम	संपदा अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 7
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	सिविल इंजीनियरिंग में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ भवनों के रखरखाव, परिवहन और संपदा प्रबंधन में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव

8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सांख्यिकी अधिकारी / अनुसंधान-सह-सांख्यिकी अधिकारी

1	पद का नाम	सांख्यिकी अधिकारी / अनुसंधान सह सांख्यिकी अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन शृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 7
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: (i) सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मास्टर डिग्री। (ii) केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/स्वायत्त संगठनों में सांख्यिकी डेटा के संग्रह, संकलन, सारणीकरण, विश्लेषण और व्याख्या में 03 वर्ष का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक

1	पद का नाम	वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री और किसी प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से संबंधित क्षेत्र में अर्हता प्राप्ति के बाद 05 वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का डिप्लोमा और किसी प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से संबंधित क्षेत्र में अर्हता प्राप्ति के बाद 08 वर्ष का अनुभव। 2. कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	आयु: नहीं अर्हता: हाँ वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर सांख्यिकी सहायक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव।
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	दो वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	50% पदोन्नति द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा। 50% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेदन किया जाना है	पदोन्नति: वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर वेतन स्तर 5 में 5 वर्ष की नियमित सेवा, बशर्ते कि कॉलम 8 में उल्लिखित योग्यता पूर्ण करते हों प्रतिनियुक्ति: कॉलम 7 में अपेक्षित अनुभव के साथ अनुरूप पद/स्तर 5.
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सांख्यिकी सहायक

1	पद का नाम	सांख्यिकी सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 5

5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	सांख्यिकी में स्नातक उपाधि अथवा एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित गणित में स्नातक उपाधि अथवा एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि अथवा एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

निजी सचिव

1	पद का नाम	निजी सचिव
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 7
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अर्हता: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक उपाधि। 2. विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान / केंद्र / राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकाय में वैयक्तिक सहायक के रूप में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव या आशुलिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। 3. अंग्रेजी/हिंदी आशुलिपि गति: अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट

		4. अंग्रेजी/हिंदी टाइप स्पीड: अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। 5. कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान। कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानदंड: श्रुतलेखन: 10 मिनट @ 120 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में /100 शब्द प्रति मिनट हिंदी में। प्रतिलेखन: 50 मिनट (अंग्रेजी)/ 60 मिनट (हिंदी) वांछनीय: अंग्रेजी में प्रवीणता और अच्छा संचार कौशल।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	आयु: लागू नहीं शैक्षणिक अर्हता: हाँ
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	i) 75% पदोन्नति द्वारा; ii) 25% सीधी भर्ती द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: कॉलम 7 में दी गई अर्हता सहित स्तर 6 में 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा कर चुके वैयक्तिक सहायक वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के अनुसार कॉलम 7 में वर्णित आशुलिपि परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के अधीन प्रतिनियुक्ति: किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अन्य केंद्रीय या राज्य स्वायत्त निकायों में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अथवा स्तर 6/स्तर 7 में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके वैयक्तिक सहायक, जो कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य व्यावसायिक अपेक्षाओं को पूरा करते हों।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

वैयक्तिक सहायक

1	पद का नाम	वैयक्तिक सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता:

		1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि। 2. न्यूनतम 100 शब्द प्रतिमिनट की गति के साथ अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिपि में प्रवीणता। 3. क्रमशः 35 या 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी या हिंदी में टंकण में दक्षता। 4. कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान। 5. केंद्र/ राज्य सरकार संगठन/ विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय/राज्य स्वायत्त संस्थान/ रु.200 करोड़ के कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संस्थान में आशुलिपिक या समकक्ष के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय: अंग्रेजी में प्रवीणता और अच्छा संचार कौशल। कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानदंड: श्रुतलेखन: 10 मिनट @ 100 शब्द प्रति मिनट। प्रतिलेखन: 40 मिनट अंग्रेजी/55 मिनट हिंदी
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	75% पदोन्नति द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 25% सीधी भर्ती द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाना है	पदोन्नति : वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर लेवल 4 में 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक, बशर्ते कि कॉलम 7 के अंतर्गत उल्लिखित आशुलिपि परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। प्रतिनियुक्ति: केंद्र / राज्य सरकार विश्वविद्यालय या स्वायत्त संगठन में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अथवा स्तर 4 / स्तर 5 या समकक्ष में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, और उपरोक्त कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट निर्धारित योग्यता रखते हों।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

आशुलिपिक

1	पद का नाम	आशुलिपिक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 4
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष

7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: 1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। 2. अंग्रेजी या हिंदी में स्टेनोग्राफी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ प्रवीणता। 3. अंग्रेजी या हिंदी में टाइपिंग में न्यूनतम 35/30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ प्रवीणता। 4. कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान। वांछनीय योग्यताएँ: अंग्रेजी में प्रवीणता और अच्छा संचार कौशल। कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानदंड: डिक्टेशन: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट। ट्रांसक्रिप्शन: 50 मिनट अंग्रेजी/65 मिनट हिंदी
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	100% सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सूचना वैज्ञानिक

1	पद का नाम	सूचना वैज्ञानिक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: प्रथम श्रेणी एमई / एम.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) / सूचना प्रौद्योगिकी या समकक्ष।

		अथवा दो वर्ष के संगत अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी बी.ई. / बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) / सूचना प्रौद्योगिकी) या समकक्ष। अथवा दो वर्ष के संगत अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर कंप्यूटर अनुप्रयोग (एमसीए) या समकक्ष। अथवा तीन वर्ष के संगत अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रथम श्रेणी एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी)। अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि (एम.लिब. या एम.एल.आई.एस.) और कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एमसीए या एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) वांछनीय अर्हता: पुस्तकालय/कार्यालय स्वचालन/सर्वर कॉन्फिगरेशन/ई-संसाधन के रखरखाव/डेटा बेस प्रबंधन/विषय-वस्तु प्रबंधन/ प्रोग्रामिंग/ वेबसाइट/ पोर्टल/ सूचना प्रणाली/ गेटवे और नेटवर्किंग के विकास में संगत अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत।	सीधी भर्ती, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति: केंद्र / राज्य सरकार, स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी, जो: (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर स्तर 6/7 या समकक्ष पद पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा की हो; तथा (iii) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव रखते हों।
12	डी.पी.सी. अथवा चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर शैक्षणिक कर्मचारी), 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार।

व्यावसायिक सहायक

1	पद का नाम	व्यावसायिक सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अर्हता: 1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान /केंद्र /राज्य सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में संबंधित क्षेत्र में या अन्य स्वायत्त संस्थानों के पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव। अथवा 2. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से पुस्तकालय / पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि के साथ विश्वविद्यालय /अनुसंधान प्रतिष्ठान /केंद्र /राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में संबंधित क्षेत्र में या अन्य स्वायत्त संस्थानों के पुस्तकालय में तीन वर्ष का अनुभव। 3. कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	आयु: लागू नहीं शैक्षणिक अर्हता: हाँ (कॉलम 7 में उल्लिखित)
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत.	75% पदोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती के द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के अधीन वरिष्ठता-सह-योग्यता के माध्यम से लेवल 5 में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ अर्ध व्यावसायिक सहायक, अन्यथा प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार, स्वायत्त या सांविधिक संगठन, पीएसयू, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के कर्मचारी, जो: (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; (ii) मूल कैडर या विभाग में लेवल 5 या समकक्ष में अर्ध व्यावसायिक सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा की हो। कॉलम 7 के में वर्णित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव प्राप्त हो।
12	डी.पी.सी .या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

अर्द्ध व्यावसायिक सहायक

1	पद का नाम	अर्द्ध व्यावसायिक सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 5
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती की स्थिति में लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अर्हता: 1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि के साथ विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान / केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त संस्थानों में दो वर्ष का संगत अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हता: हाँ
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	75% पदोन्नति द्वारा, विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा 25% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाना है	पदोन्नति: स्तर 4 में पुस्तकालय सहायक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

पुस्तकालय सहायक

1	पद का नाम	पुस्तकालय सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 4
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती के मामलों में लागू नहीं

6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	अनिवार्य अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा समकक्ष (ii) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की टंकण गति. (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	आयु: लागू नहीं अर्हता: कोई नहीं। परन्तु कॉलम 11 में दर्शायी गई अर्हता प्राप्त होनी चाहिए
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	75% पदोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: पुस्तकालय परिचर जिसके पास 10+2 अथवा इसके समकक्ष अर्हता प्राप्त हो और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र सहित स्तर 1 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

पुस्तकालय परिचर

1	पदनाम	पुस्तकालय परिचर
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर – 1
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र (iii) किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय में एक वर्ष अनुभव (iv) कंप्यूटर अनुप्रयोग का आधारभूत ज्ञान
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	सीधी भर्ती

	भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

तकनीकी अधिकारी/अनुरक्षण अधिकारी

1	पद का नाम	तकनीकी अधिकारी/अनुरक्षण अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य (i) संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (ii) वरिष्ठ तकनीकी सहायक या समकक्ष के रूप में प्रयोगशाला में अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के रखरखाव का 5 वर्ष का अनुभव। अथवा पोस्ट डॉक्टरल स्तर पर प्रयोगशाला में अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन का 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले शोधकर्ता भी पात्र होंगे। यह अनुभव विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान / केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकाय या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठन में होना चाहिए।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	आयु: लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	दो वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

वरिष्ठ तकनीकी सहायक

1	पद का नाम	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	गैर-चयन आधारित सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अर्हता: संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव; अथवा प्रथम श्रेणी के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि और प्रयोगशाला में अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन एवं रखरखाव का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव। हालाँकि, प्रासंगिक विषय का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। यह अनुभव विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान / केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकाय या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठन में होना चाहिए।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	75% पदोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती द्वारा (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: वरिष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार, तकनीकी सहायक (स्तर 5) के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

तकनीकी सहायक

1	पद का नाम	तकनीकी सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 5
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	गैर चयन सीधी भर्ती हेतु लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: संबंधित विषय में स्नातक उपाधि और प्रयोगशाला में अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन एवं रखरखाव का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव। हालाँकि, संगत विषय का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। यह अनुभव विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान / केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकाय या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठन में होना चाहिए।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	75% पदोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती द्वारा (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर)
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: स्तर 4 में प्रयोगशाला सहायक के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा वरिष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार, अन्यथा सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा
12	डी.पी.सी .या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

प्रयोगशाला सहायक

1	पद का नाम	प्रयोगशाला सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 4
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्रयोगशाला में अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। हालाँकि, प्रासंगिक विषय का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। यह अनुभव विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान / केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकाय या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठन में होना चाहिए।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हता: हाँ
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत.	25% पदोन्नति द्वारा 75% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: प्रयोगशाला परिचर (स्तर 1) के रूप में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ कॉलम संख्या 7 में निर्धारित अपेक्षित योग्यता।
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

प्रयोगशाला परिचर

1	पद का नाम	प्रयोगशाला परिचर
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 1
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय/राज्य बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यताप्राप्त केंद्रीय/राज्य बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण और प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में कौशल प्रमाण-पत्र कार्यक्रम।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सिस्टम मैनेजर / वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट

1	पद का नाम	सिस्टम मैनेजर / वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 12
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	50 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: कम से कम 55% अंकों के साथ बी.ई./बी.टेक. (कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग) और किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक/पीयूएस/निजी संगठन में व्यापक प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रबंधन में 9 वर्षों का अनुभव।

		अथवा 55% अंकों के साथ एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान)/एमसीए/एम.टेक. (कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग) और किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक/पीयूएस/निजी संगठन में व्यापक प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रबंधन में 8 वर्षों का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	एक वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों, स्वायत्त/सांविधिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों का अधिकारी जो विभाग के मूल कैडर में सदृश पद और वेतन धारण करता हो। या मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन स्तर 10/11 या समकक्ष में उपर्युक्त संगठन में पांच वर्ष का अनुभव हो।
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2023 (अनुसूची II) के अनुसार

सिस्टम इंजीनियर / वरिष्ठ अनुरक्षण अभियंता

1	पद का नाम	सिस्टम इंजीनियर / वरिष्ठ अनुरक्षण अभियंता
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 12
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	50 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक./एम.एससी. कंप्यूटर विज्ञान/एमसीए के साथ 07 वर्ष का अनुभव। या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टेक. के साथ 05 वर्ष का अनुभव। अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक/पीएसयू/निजी संगठन से सर्वर कॉन्फिगरेशन, स्टोरेज सिस्टम, बैकअप सिस्टम, लिनक्स/यूनिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और वैलिडेशन, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्रों में उद्योग/विश्वविद्यालय स्तर के

		कंप्यूटर केंद्र में उचित स्तर का अनुभव होना चाहिए।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	एक वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों, स्वायत्त/सांविधिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों का अधिकारी जो विभाग के मूल कैडर में सदृश पद और वेतन धारण करता हो। या उपर्युक्त संगठन में मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन स्तर 10/11 या समकक्ष में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2023 (अनुसूची II) के अनुसार

कनिष्ठ अनुरक्षण अभियंता / नेटवर्किंग इंजिनियर

1	पद का नाम	कनिष्ठ अनुरक्षण अभियंता / नेटवर्किंग इंजिनियर
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: (1) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक. (2) किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक/पीयूएस/निजी संगठन में विशाल यूपीएस सिस्टम और केन्द्रीकृत एयर-कंडीशनिंग संयंत्र/कम्प्यूटर सिस्टम प्रबंधन और प्रशासन/परिसर में बड़े कम्प्यूटर नेटवर्क, अधिमानतः फाइबर ऑप्टिक बैकबोन लिंक के साथ, के रखरखाव सहित कम्प्यूटर नेटवर्क प्रशासन और कम्प्यूटर हार्डवेयर में 05 वर्ष का अनुभव। वांछनीय अर्हता: औद्योगिक पृष्ठभूमि का अनुभव
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु	लागू नहीं

	और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	दो वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2023 (अनुसूची II) के अनुसार

सिस्टम एनालिस्ट/ प्रोग्रामर/ कंप्यूटर प्रोग्रामर/ सिस्टम प्रोग्रामर

1	पद का नाम	सिस्टम एनालिस्ट/ प्रोग्रामर/ कंप्यूटर प्रोग्रामर/ सिस्टम प्रोग्रामर
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन शृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता 1. कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. 2. सी/सी++/जावा आदि भाषाओं में प्रोग्रामिंग; माईएसक्यूएल/ओरेकल के साथ पीएचपी आदि डेटाबेस; और विन्डोज़ /लिनक्स/ यूनिक्स प्लेटफार्मों के अंतर्गत फाउंडेशन एवं प्रैक्टिसेज का किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक/पीएसयू/निजी संगठन में 05 वर्ष का अनुभव। अथवा 1. कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टेक./एम.एससी. कंप्यूटर विज्ञान/एमसीए 2. सी/सी++/जावा आदि भाषाओं में प्रोग्रामिंग; माईएसक्यूएल/ओरेकल के साथ पीएचपी आदि डेटाबेस; और विन्डोज़ /लिनक्स/ यूनिक्स प्लेटफार्मों के अंतर्गत फाउंडेशन एवं प्रैक्टिसेज का किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक/पीएसयू/निजी संगठन में 03 वर्ष का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	दो वर्ष

10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2023 (अनुसूची II) के अनुसार

वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)/ कनिष्ठ प्रोग्रामर/ सहायक प्रोग्रामर

1	पद का नाम	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)/ कनिष्ठ प्रोग्रामर/ सहायक प्रोग्रामर
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता 1. कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. अथवा एमसीए/कंप्यूटर विज्ञान में एम.एससी. 2. सी/सी++/जावा आदि भाषाओं में प्रोग्रामिंग; माईएसक्यूएल/ओरेकल के साथ पीएचपी आदि डेटाबेस; और विन्डोज़ /लिनक्स/ यूनिक्स प्लेटफार्मों के अंतर्गत फाउंडेशन एवं प्रैक्टिसेज का किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक/पीएसयू/निजी संगठन में 02 वर्ष का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	दो वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा (यदि अपेक्षित हो) के माध्यम से सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2023 (अनुसूची II) के अनुसार

तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)

1	पद का नाम	तकनीकी सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 5
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि / एमसीए ii) विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान / केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकाय या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठन में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी .या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

अधीक्षण अभियंता (सिविल) / विश्वविद्यालय अभियंता

1	पद का नाम	अधीक्षण अभियंता (सिविल) / विश्वविद्यालय अभियंता
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 13
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं

6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	56 वर्ष (प्रतिनियुक्ति हेतु)
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी स्नातक की उपाधि या समकक्ष। ii) कें.लो.नि.वि./राज्य सरकार लो.नि.वि. सेवाओं या इसी तरह की संगठित सेवाओं/अर्धसरकारी/पीएसयू/सांविधिक या स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय प्रणाली या कम से कम 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में अधिशासी अभियंता के रूप में 08 वर्ष का अनुभव। वांछनीय अर्हता: i) बहुमंजिला इमारतों की परियोजनाओं के निर्माण में अनुभव और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ लोक निर्माण विभाग मानदंडों के अनुसार नियोजन/आकलन/मापन/निविदा में अनुभव। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित आकलन की तैयारी/जांच, नक्शों, संरचनात्मक विवरण, मात्रा का बिल, स्थानापन्न/विचलन मद विवरणी एवं भवन व निर्माण से संबंधित अन्य संबंधित मामलों का अच्छा ज्ञान। ii) कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (कैड) और नवीनतम प्रबंधन प्रौद्योगिकी/अन्य प्रासंगिक सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति पर अथवा कार्यकाल आधारित नियुक्ति
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलेन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलेन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति: सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग सेवाओं या इस प्रकार की संगठित सेवाओं/अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ सांविधिक या स्वायत्त संगठन/ विश्वविद्यालय प्रणाली में 08 वर्ष का अनुभव धारण करने वाले अधिशासी अभियंता (वेतन स्तर 11) अथवा समकक्ष अधिकारी
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

अधिशासी अभियंता (सिविल)

1	पद का नाम	अधिशासी अभियंता (सिविल)
---	-----------	-------------------------

2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन श्रृंखला	स्तर 11 (स्तर 11 में अधिशासी अभियंता 05 वर्ष की सेवा के उपरांत पदधारी को उसी पदनाम में स्तर 12 में ले जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।)
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	45 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या समकक्ष (ii) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग सेवाओं या इसी प्रकार की संगठित सेवाओं / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / सांविधिक या स्वायत्त संगठन / विश्वविद्यालय प्रणाली या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में सहायक अभियंता के पद पर आठ वर्ष का अनुभव। वांछनीय अर्हता: i) बहुमंजिला इमारतों की परियोजनाओं के निर्माण में अनुभव और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ लोक निर्माण विभाग मानदंडों के अनुसार नियोजन/आकलन/मापन/निविदा में अनुभव। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित आकलन की तैयारी/जांच, नक्शों, संरचनात्मक विवरण, मात्रा का बिल, स्थानापन्न/विचलन मद विवरणी एवं भवन व निर्माण से संबंधित अन्य संबंधित मामलों का अच्छा ज्ञान। ii) कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) और नवीनतम प्रबंधन प्रौद्योगिकी / अन्य प्रासंगिक सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	पदोन्नति के द्वारा; विफल होने पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	पदोन्नति: वेतन स्तर 7 में 08 वर्ष की नियमित सेवा और संबंधित इंजीनियरिंग विषयक्षेत्र में डिग्रीधारी सहायक अभियंता में से वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर पदोन्नति, बशर्ते कि कॉलम 7 में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो। प्रतिनियुक्ति: सदृश पदधारी अधिकारी अथवा इससे एक श्रेणी नीचे का पदधारी जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग सेवाओं या इस प्रकार की संगठित सेवाओं/अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ सांविधिक या स्वायत्त संगठन/ विश्वविद्यालय प्रणाली में 03 वर्ष का अनुभव हो।
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

अधिशासी अभियंता (विद्युत्)

1	पद का नाम	अधिशाली अभियंता (विद्युत्)
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन शृंखला	स्तर 11 (स्तर 11 में अधिशाली अभियंता 05 वर्ष की सेवा के उपरांत पदधारी को उसी पदनाम में स्तर 12 में ले जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	45 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में विद्युत् इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या समकक्ष (ii) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग सेवाओं या इसी प्रकार की संगठित सेवाओं / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / सांविधिक या स्वायत्त संगठन / विश्वविद्यालय प्रणाली या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में सहायक अभियंता के पद पर आठ वर्ष का अनुभव। वांछनीय अर्हता: सब-स्टेशंस के रखरखाव/बहुमंजिला इमारतों की परियोजनाओं के निर्माण, विवरण प्रणाली में अनुभव और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ लोक निर्माण विभाग मानदंडों के अनुसार नियोजन/ आकलन/ मापन/ निविदा में अनुभव। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित आकलन की तैयारी/जांच, नक्शों, संरचनात्मक विवरण, मात्रा का बिल, स्थानापन्न/विचलन मद विवरणी और विद्युत् इंस्टालेशन संबंधी अन्य संबंधित मामलों का अच्छा ज्ञान।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	आयु: नहीं अर्हता: हाँ (कॉलम 7 में उल्लिखित)
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	02 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	पदोन्नति के द्वारा; विफल होने पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेदन किया जाना है	पदोन्नति: वेतन स्तर 7 (जीपी 4600) में 08 वर्ष की नियमित सेवा और संबंधित इंजीनियरिंग विषयक्षेत्र में डिग्रीधारी सहायक अभियंता में से वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर पदोन्नति, बशर्ते कि कॉलम 7 में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो। प्रतिनियुक्ति: सदृश पदधारी अधिकारी अथवा इससे एक श्रेणी नीचे का पदधारी जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग सेवाओं या इस प्रकार की संगठित सेवाओं/अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ सांविधिक या स्वायत्त संगठन/ विश्वविद्यालय प्रणाली में 03 वर्ष का अनुभव हो।
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत्/यांत्रिकी)

1	पद का नाम	सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत्/यांत्रिकी)
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला	स्तर 7
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन आधारित
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अर्हता: 1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि या समकक्ष 2) राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग सेवाओं या इसी प्रकार की संगठित सेवाओं सांविधिक या स्वायत्त संगठन / विश्वविद्यालय प्रणाली या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	आयु: नहीं अर्हता: हाँ (कॉलम 7 में उल्लिखित)
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	02 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% पदोन्नति द्वारा नोट: जहां कहीं केवल एक ही पद स्वीकृत हो, चयन सीधी भर्ती के द्वारा किया जाएगा।
11	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाना है	पदोन्नति: संबंधित इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के विषयक्षेत्र में डिग्रीधारी अथवा डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियंता के पद पर क्रमश 05 वर्ष अथवा 08 वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: सदृश पदधारी अधिकारी अथवा इससे एक श्रेणी नीचे का पदधारी जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग सेवाओं या इस प्रकार की संगठित सेवाओं/अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ सांविधिक या स्वायत्त संगठन/ विश्वविद्यालय प्रणाली में 03 वर्ष का अनुभव हो।
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

1	पद का नाम	कनिष्ठ अभियंता
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन शृंखला	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि और एक वर्ष का संगत अनुभव; अथवा संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग सेवाओं या इसी प्रकार की संगठित सेवाओं सांविधिक या स्वायत्त संगठन / विश्वविद्यालय प्रणाली या कम से कम रु.200/- करोड़ या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	02 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

हिंदी अधिकारी

1	पद का नाम	हिंदी अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'क'
4	वेतन शृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 10
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्य अर्हता:

	अर्हताएं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि, तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि, तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, तथा स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में; तथा हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) के / क्रियान्वयन और अंग्रेजी से हिंदी या विलोमतः अनुवाद कार्य, अधिमानतः केंद्र /राज्य सरकार के अंतर्गत तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का /स्वायत्त निकाय / सांविधिक संगठन /सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान में तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के, का तीन वर्ष का अनुभव अथवा केंद्र /राज्य सरकार /स्वायत्त निकाय /सांविधिक संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों /विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेजी में शोध का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में से एक का अध्ययन किया गया हो।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष

10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी .या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

हिंदी अनुवादक

1	पद का नाम	हिंदी अनुवादक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह -ख
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि, तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि, तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, तथा स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में; तथा

		हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या भारत सरकार उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में से एक का अध्ययन किया गया हो।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी .या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

हिंदी टंकक

1	पद का नाम	हिंदी टंकक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 2
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री। ii. कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में प्रति मिनट 30 शब्द की टंकण गति iii. कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं

9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सुरक्षा अधिकारी

1	पद का नाम	सुरक्षा अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 7
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री के साथ किसी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान/ कम से कम 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठन में सुरक्षा पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षी पद पर पांच वर्ष का अनुभव हो। अथवा ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सेना या ऐसी वर्दीधारी सेवा में कनिष्ठ कमिशनड अधिकारी या समकक्ष या इससे उच्च स्तर पर सेवा की हो और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या सेना की श्रेणी 1 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और वैध ड्राइविंग लाइसेंस (एलएमवी/मोटर साइकिल) धारण करता हो।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती; ऐसा नहीं हो पाने पर प्रतिनियुक्ति पर
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति केंद्र / राज्य सरकार / विश्वविद्यालय/ अन्य स्वायत्त संगठन के अधिकारी, जो: - नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा - संबंधित क्षेत्र में स्तर 6 पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सहायक सुरक्षा अधिकारी

1	पद का नाम	सहायक सुरक्षा अधिकारी
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री के साथ किसी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान/ कम से कम 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले प्रतिष्ठित निजी संगठन में सुरक्षा पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षी पद पर पांच वर्ष का अनुभव हो। अथवा ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सेना या ऐसी वर्दीधारी सेवा में कनिष्ठ कमिश्नड अधिकारी या समकक्ष या इससे उच्च स्तर पर सेवा की हो और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या सेना की श्रेणी 1 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और वैध ड्राइविंग लाइसेंस (एलएमवी/मोटर साइकिल) धारण करता हो।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा, विफल होने पर प्रतिनियुक्ति पर
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति केंद्र / राज्य सरकार / विश्वविद्यालय/ अन्य स्वायत्त संगठन के अधिकारी, जो: - नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा - संबंधित क्षेत्र में स्तर 5 पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सुरक्षा निरीक्षक

1	पद का नाम	सुरक्षा निरीक्षक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 5
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री के साथ किसी प्रतिष्ठित सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान/निजी संगठन में सुरक्षा पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षी पद के रूप में तीन वर्ष का अनुभव, जिसका वार्षिक कारोबार कम से कम 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सेना या ऐसी वर्दीधारी सेवा में कम से कम कक्षा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या सेना की कक्षा I परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और वैध ड्राइविंग लाइसेंस (एलएमवी/मोटर साइकिल) धारण करना।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	100% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

सुरक्षा सहायक

1	पद का नाम	सुरक्षा सहायक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 2
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष

7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: 1. किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सेना से समकक्ष अर्हता प्राप्त की होनी चाहिए। 2. पूर्व सैनिक/ अर्द्धसैनिक बल के कर्मचारी जिन्हें "एवाईई" श्रेणी चिकित्सा और "बहुत अच्छा" अथवा इसके समकक्ष चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ उचित रूप से कार्यमुक्त किया गया हो।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा (यदि अपेक्षित हो) के माध्यम से सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

अतिथि गृह प्रबंधक

1	पद का नाम	अतिथि गृह प्रबंधक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 6
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	35 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से होटल प्रबंधन या संबद्ध क्षेत्र में स्नातक की उपाधि के साथ एक वर्ष का संगत अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से होटल प्रबंधन या संबद्ध क्षेत्र में डिप्लोमा तथा दो वर्ष का संगत अनुभव 2. कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान

8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

रसोइया

1	पद का नाम	रसोइया
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 2
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अर्हता: - मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण - बेकरी एवं मिष्ठान ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र (1 वर्षीय) - शैक्षणिक संस्थान / अतिथि गृह, 3 सितारा प्रतिष्ठित होटल अथवा इसी प्रकार के संगठन में रसोई / खानपान सेवाओं का 3 वर्ष का अनुभव
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

रसोई परिचर

1	पद का नाम	रसोई परिचर
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 1
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य (1) किसी भी राज्य /केंद्रीय विद्यालय / बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण अथवा संबंधित ट्रेड में आईटीआई ट्रेड प्रमाणपत्र (2) कैंटीन/ प्रतिष्ठित होटल/ प्रतिष्ठित संगठन/ विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में रसोई/खानपान सेवाओं का दो वर्षों का अनुभव
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेदन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

छात्रावास परिचर

1	पद का नाम	छात्रावास परिचर
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 1
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष

7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य (1) किसी भी राज्य /केंद्रीय विद्यालय / बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण अथवा आईटीआई उत्तीर्ण (2) छात्रावास/कैंटीन/ होटल/ अतिथि गृह आई में दो वर्षों का अनुभव
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष
10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

चालक

1	पद का नाम	चालक
2	पद संख्या	यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुसार
3	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4	वेतन श्रृंखला/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	स्तर 2
5	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	32 वर्ष
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हलके/मध्यम/भारी वाहनों के लिए वैध वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर प्रतिकूल प्रविष्टि न हुई हो। (iii) वाहन कलपुर्जे की बनावट का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहनों में मामूली कमियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) (iv) किसी संगठन में मोटर वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षाकाल, यदि कोई हो, की अवधि	2 वर्ष

10	सीधी भर्ती/पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पद का प्रतिशत	ड्राइविंग परीक्षा, यातायात नियम के ज्ञान एवं कौशल परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	डी.पी.सी. या चयन समिति का संघटन	संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) 2023 (अनुसूची-2) के अनुसार

***नोट: चालक के विभिन्न उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए भारत सरकार के स्टाफ कार चालक नियम लागू होंगे।**

अनुसूची-2

गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए

चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति

1. चयन समिति का संघटन निम्नलिखित होगा:

क) समूह 'क' पदों (सांविधिक तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में विनिर्दिष्ट पदों के अलावा) हेतु:

1	कुलपति / सम कुलपति* (*कुलपति की अनुपस्थिति में)	:	सभापति
2	कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ (जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो)	:	सदस्य
3	इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
4	कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित कार्यकारिणी परिषद् का एक सदस्य	:	सदस्य
5	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य
6	कुलसचिव	:	सदस्य

ख) समूह 'ख' पदों हेतु:

1	सम कुलपति/ कुलसचिव * (*सम कुलपति की अनुपस्थिति में कुलसचिव)	:	सभापति
2	कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ (जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो)	:	सदस्य
3	इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला	:	सदस्य

	अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।		
5	कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव	:	सदस्य

ग) समूह 'ग' पदों हेतु:

1	कुलसचिव	:	सभापति
2	कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ (जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो)	:	सदस्य
3	इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य
5	संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव	:	सदस्य

घ) गैर-शिक्षण सांविधिक पदों (कुलसचिव, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक) के लिए:

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम-18 के अनुसार, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यकारिणी परिषद् को संस्तुति हेतु एक चयन समिति होगी।

1.	कुलपति (कुलपति की अनुपस्थिति में सम कुलपति चयन समिति की बैठक बुलाएंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे)	:	सभापति
2.	कुलाध्यक्ष का एक नामिती	:	सदस्य
3	कार्यकारिणी परिषद् के दो सदस्य इसके द्वारा नामित किये जायेंगे।	:	सदस्य
4.	कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो	:	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग वर्ग का एक प्रतिनिधि नामित किया जाएगा, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार आवेदक है, और यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य

नोट (परिनियम-18):

बशर्ते कि चयन समिति की बैठक कुलाध्यक्ष के नामिती और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित विशेषज्ञों के साथ पूर्व परामर्श के बाद और उनकी सुविधा के अधीन तय की जाएगी:

बशर्ते कि चयन समिति की कार्यवाही तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि,

- (क) जहां कुलाध्यक्ष के नामिती और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, उनमें से कम से कम तीन बैठक में उपस्थित हों; और
- (ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामिती और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, उनमें से कम से कम दो बैठक में उपस्थित हों।
- (ग) चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अध्यादेशों में निर्धारित की जाएंगी।

(घ) यदि कार्यकारिणी परिषद् चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ है, तो वह अपना कारण दर्ज करेगी और अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को मामला प्रस्तुत करेगी।

2. विभागीय पदोन्नति समिति का संघटन निम्नलिखित होगा:

क) समूह 'क' पदों (सांविधिक पदों के अलावा) हेतु:

1	कुलपति / सम कुलपति* (*कुलपति की अनुपस्थिति में)	:	सभापति
2	कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो	:	सदस्य
3	संबंधित इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य
5	कुलसचिव	:	सदस्य

ख) समूह 'ख' पदों हेतु:

1	सम कुलपति/ कुलसचिव * (*सम कुलपति की अनुपस्थिति में कुलसचिव)	:	सभापति
2	कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो	:	सदस्य
3	संबंधित इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य
5	कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव	:	सदस्य

ग) समूह 'ग' पदों हेतु:

1	कुलसचिव	:	सभापति
2	कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो	:	सदस्य
3	संबंधित इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य
5	सम्बंधित यूनिट का संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव	:	सदस्य

3. विभागीय स्थायीकरण समिति का संघटन निम्नलिखित होगा:

क) समूह 'क' पदों (सांविधिक पदों के अलावा) हेतु:

1	कुलपति / सम कुलपति*	:	सभापति
---	---------------------	---	--------

	(*कुलपति की अनुपस्थिति में)		
2	संबंधित इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
3	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य
4	कुलसचिव	:	सदस्य

ख) समूह 'ख' पदों हेतु:

1	सम कुलपति/ कुलसचिव * (*सम कुलपति की अनुपस्थिति में कुलसचिव)	:	सभापति
2	संबंधित इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
3	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य
4	कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव		सदस्य

ग) समूह 'ग' पदों हेतु:

1	कुलसचिव	:	सभापति
2	संबंधित इकाई प्रमुख/विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
3	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का एक प्रतिनिधि, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी चयन समिति का सदस्य उक्त श्रेणी से संबंधित नहीं है।	:	सदस्य
4	सम्बंधित यूनिट का संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव	:	सदस्य

यदि रिक्तियों की संख्या 10 या उससे अधिक है तो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को चयन समिति में शामिल किया जाएगा।

गणपूर्ति

चयन समिति की बैठक के लिए दो-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी, जिसमें अध्यक्ष, कुलपति द्वारा नामित व्यक्ति (जहां भी लागू हो), दो विशेषज्ञों में से कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ और आवश्यकतानुसार संबंधित आरक्षित श्रेणी से एक प्रतिनिधि शामिल होगा। विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति की बैठक के लिए दो-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

प्रोफेसर सी. शीला रेड्डी, कुलसचिव प्रभारी

[विज्ञापन-III/4/असा./278/2025-26]

CENTRAL UNIVERSITY OF ANDHRA PRADESH, ANANTHAPURAMU

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

F. No. CUAP/Estt/2024-25/Gazette/35 Cadre Recruitment Rules (CRR) for the Non-Teaching Posts: October -2023

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	General Rules	4-21

SUMMARY OF POSTS

Name of Post		Group	Core Pay Scale as per 6th CPC		7th CPC Pay Matrix	Page No.
			Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)		
ADMINISTRATIVE / MINISTERIAL SERVICES						
1	Registrar	A	37400-67000	10000	Level 14	22
2	Finance Officer	A	37400-67000	10000	Level 14	23
3	Controller of Examination	A	37400-67000	10000	Level 14	24
4	Deputy Registrar	A	15600-39100	7600	Level 12	25
5	Assistant Registrar	A	15600-39100	5400	Level 10	26
6	Section Officer	B	9300-34800	4600	Level 7	27
7	Assistant	B	9300-34800	4200	Level 6	28
8	Upper Division Clerk	C	5200-20200	2400	Level 4	29
9	Lower Division Clerk	C	5200-20200	1900	Level 2	30
10	Multi-Tasking Staff	C	5200-20200	1800	Level 1	31
OTHER ISOLATED ADMINISTRATIVE SERVICES						
11	Internal Audit Officer	A	15600-39100	7600	Level 12	32
12	Public Relation Officer	A	15600-39100	5400	Level 10	33
13	Law Officer	A	15600-39100	5400	Level 10	34
14	Training and Placement Officer	A	15600-39100	5400	Level 10	35
15	Estates Officer	B	9300-34800	4600	Level 7	36
STATISTICAL SERVICES						
16	Statistical Officer / Research cum Statistical Officer	B	9300– 34800	4600	Level 7	37
17	Senior Statistical Assistant	B	9300-34800	4200	Level 6	38
18	Statistical Assistant	C	5200-20200	2800	Level 5	39
19	Private Secretary	B	9300– 34800	4600	Level 7	40
20	Personal Assistant	B	9300– 34800	4200	Level 6	41
21	Stenographer	C	5200 - 20200	2400	Level 4	42
LIBRARY SERVICES						
22	Information Scientist	A	15600-39100	5400	Level 10	43-

	Name of Post	Group	Core Pay Scale as per 6th CPC		7th CPC Pay Matrix	Page No.
			Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)		
						44
23	Professional Assistant	B	9300– 34800	4200	Level 6	45
24	Semi Professional Assistant	C	5200– 20200	2800	Level 5	46
25	Library Assistant	C	5200– 20200	2000	Level 4	47
26	Library Attendant	C	5200– 20200	1800	Level 1	48
TECHNICAL/LABORATORY SERVICES						
27	Technical Officer / Maintenance Engineer	A	15600-39100	5400	Level 10	49
28	Senior Technical Assistant	B	9300– 34800	4200	Level 6	50
29	Technical Assistant	C	5200-20200	2800	Level 5	51
30	Laboratory Assistant	C	5200– 20200	2400	Level 4	52
31	Laboratory Attendant	C	5200– 20200	1800	Level 1	53
INFORMATION AND COMMUNICATION TECH. SERVICES						
32	System Manager / Senior System Analyst	A	15600-39100	7600	Level 12	54
33	System Engineer / Senior Maintenance Engineer	A	15600-39100	7600	Level 12	55
34	Junior Maintenance Engineer / Networking Engineer	A	15600-39100	5400	Level 10	56
35	System Analyst/ Programmer/ Computer Programmer/ System Programmer	A	15600-39100	5400	Level 10	57
36	Senior Technical Assistant (Computer) / Junior Programmer/Assistant Programmer	B	9300– 34800	4200	Level 6	58
37	Technical Assistant (Computer)	C	5200-20200	2800	Level 5	59
ENGINEERING SERVICES						
38	Superintending Engineer (Civil)/University Engineer	A	37400-67000	8700	Level 13	60
39	Executive Engineer (Civil)	A	15600-39100	6600	Level 11	61
40	Executive Engineer (Electrical)	A	15600-39100	6600	Level 11	62
41	Assistant Engineer (Civil /Electrical / Mechanical)	B	9300– 34800	4600	Level 7	63
42	Junior Engineer	B	9300– 34800	4200	Level 6	64
RAJBHASHA SERVICES						
43	Hindi Officer	A	15600-39100	5400	Level 10	65-66
44	Hindi Translator	B	9300– 34800	4200	Level 6	67-68
45	Hindi Typist	C	5200-20200	1900	Level 2	69

Name of Post		Group	Core Pay Scale as per 6th CPC		7th CPC Pay Matrix	Page No.
			Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)		
SECURITY SERVICES						
46	Security Officer	B	9300– 34800	4600	Level 7	70
47	Assistant Security Officer	B	9300– 34800	4200	Level 6	71
48	Security Inspector	C	5200– 20200	2800	Level 5	72
49	Security Assistant	C	5200– 20200	1900	Level 2	73
GUEST HOUSE/HOSTEL SERVICES						
50	Guest House Manager	B	9300– 34800	4200	Level 6	74
51	Cook	C	5200– 20200	1900	Level 2	75
52	Kitchen Attendant	C	5200– 20200	1800	Level 1	76
53	Hostel Attendant	C	5200– 20200	1800	Level 1	77
TRANSPORT SERVICES						
54	Driver	C	5200-20200	1900	Level 2	78

CENTRAL UNIVERSITY OF ANDHRA PRADESH, ANANTAPURAMU
Cadre Recruitment Rules (CRR) Non-Teaching: October -2023

The Executive Council of the “*Central University of Andhra Pradesh, Ananthapuramu*”, in exercise of the powers conferred under **Section 26(d) of the University Act, Statutes 12(2)(iv) and 23(2)** of Second Schedule to the “*Central Universities Act, 2009*”, hereby frames the following rules for regulating the recruitment to the Non-Teaching in the University under **Ordinance No.2**.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- 1.1** These Rules shall be called Central University Non-Teaching Recruitment Rules 2023 of “*Central University of Andhra Pradesh, Ananthapuramu*”.
- 1.2** These Rules shall come into force with effect from the date of issue of notification by the University.

2. DEFINITION:

In these Rules, unless the context otherwise requires:

- 2.1** ‘Act’ shall mean the “*Central Universities Act, 2009*” as amended from time to time.
- 2.2** ‘Executive Council’ shall mean the Executive Council of “*Central University of Andhra Pradesh, Ananthapuramu*”.
- 2.3** ‘Appointing Authority’ in relation to any post in the University shall imply the authority competent to make appointment to that post under the Act / Statute / Ordinances / CRRs / Regulations of the University as amended from time to time.
- 2.4** ‘Cadre’ shall mean the strength of service, or a part of service sanctioned as a separate unit.
- 2.5** ‘Departmental Candidate’ shall mean the employee working on regular basis in the “*Central University of Andhra Pradesh*” against a substantive post in the University but does not include an employee working on ad-hoc, daily wage, contract, or

- temporary basis.
- 2.6 'Direct Recruitment' shall mean the recruitment made other than by promotion, deputation or absorption.
- 2.7 'Government' shall mean the Government of India.
- 2.8 'Non-Teaching Employee' shall mean an employee of the University other than the teachers of the University.
- 2.9 'Regular Service' shall mean the service rendered by an employee in the cadre on a regular basis and shall not include the service on contract/daily wage/temporary/ad-hoc basis.
- 2.10 'Schedule' shall mean the Schedule(s) appended to these Rules.
- 2.11 'Selection Committee' shall mean a composition of members of Selection Committee as specified in the Act, Statutes, Ordinances, UGC Regulations, Guidelines or the Cadre Recruitment Rules of the University.
- 2.12 'Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee' shall mean departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee respectively, as defined in the Schedule 2.
- 2.13 'Statutes', 'Ordinances' and 'Regulations' shall mean, respectively, the 'Statute', 'Ordinance' and 'Regulations' of the University under "**Central Universities Act, 2009**", for the time being in force and as amended from time to time.
- 2.14 'University' shall mean "**Central University of Andhra Pradesh**" established under "The Central Universities (Amendment) Act, 2019, An Act further to amend the *Central Universities Act, 2009*".
- 2.15 'Age' shall mean the upper age limit as specified in the Schedule 1.
- 2.16 'Notified date' shall mean the date specified in the Notification.
- 2.17 'UGC' shall mean the University Grants Commission established under the UGC Act, 1956.
- 2.18 'SC' shall mean Scheduled Caste, 'ST' shall mean Scheduled Tribe, 'OBC' shall mean Other Backward Class, 'PwBD' shall mean Persons with Benchmark Disability, EWS shall mean Economically Weaker Sections.
- 2.19 'On Probation' with relation to a person shall mean a person appointed to any post on probation as specified in these rules.
- 2.20 'Substantive appointment' shall mean appointment on a substantive post on regular basis including on probation followed by confirmation.
- 2.21 (a) 'Service or Experience' wherever prescribed under these rules for direct recruitment shall mean a condition for appointment to any post shall include the period which the person has worked on such lower post.
- (b) 'Service or Experience' wherever prescribed under these rules for promotion shall mean a condition for promotion to any higher post, shall include the period which the person has continuously worked on such lower post on regular basis.
- 2.22 'Competent Authority' shall mean the authority competent to exercise different powers and functions under these Rules.
- 2.23 All other words and expressions, used herein, but not defined in these Rules, unless the context otherwise requires, shall have the same meaning as they have been assigned in the "**Central Universities Act, 2009**", Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder or in the relevant rules framed by the Government of India as amended from time to time.

3. **EXTENT OF APPLICATION:**

- 3.1 These Rules shall apply to all appointments of non-teaching posts on regular/tenure/deputation/promotion basis by the University as the case may be.
- 3.2 Instructions issued by the Govt. of India/UGC regarding appointment, conditions of service and admissible emoluments etc. of the non-teaching employees from time to time shall apply mutatis mutandis with due approval of the Executive Council.

4. **CLASSIFICATION OF POSTS:**

- 4.1 Group 'A' (Pay Level 10 and above)
- 4.2 Group 'B' (Pay Level 6 to 9)

4.3 Group 'C' including Multi-Tasking Staff (MTS) (Pay Level 1 to 5)**5. SCHEDULE:**

The number of posts, with classification, Pay-Matrix, details of qualification, experience, method of recruitment, age limit, etc. for various posts and any other information relevant to these posts are specified under Schedule-1.

6. APPOINTING AUTHORITY:

The Appointing Authority in respect of various posts in the University shall be as under:

	Appointing Authority	Posts
A	Executive Council	Permanent appointment to all Group 'A' posts
B	Vice- Chancellor	(i) Permanent appointment to all Group 'B' posts
		(ii) Temporary appointment to all Group 'A' / Group 'B' posts
C	Registrar	(i) Permanent appointment to all Group 'C' posts.
		(ii) Temporary appointment to all Group 'C' posts.

7. METHOD OF RECRUITMENT:

The recruitment to various posts shall be made by the Appointing Authority by the following methods:

- 7.1. Direct Recruitment
- 7.2. Promotion
- 7.3. Deputation/Absorption
- 7.4. Tenure Appointment

8. AUTHORISED SANCTIONED STRENGTH OF POSTS UNDER VARIOUS CADRES:

- 8.1 The authorized sanctioned strength of the posts under each of the cadres as on the date of notification shall be as specified in Scheduled 1 under these rules.
- 8.2 After notification of these rules, any new post sanctioned by the UGC/MOE from time to time shall be added to the authorized sanctioned strength of posts under respective cadres with due approval of the Executive Council of the University.

9. FUTURE MAINTENANCE OF THE CADRE/POSTS:

- 9.1 All the appointments made through the method of recruitment, mentioned under Rule-7 above, in the University after notification of these rules, shall be made only in accordance with the provision of these rules. The Executive Council may add any other posts and/or Cadre as and when any new post/cadre is sanctioned by UGC / MoE. In case of sanction of new post(s) by UGC/MoE, necessary procedural formalities such as framing of recruitment rules of such posts (wherever necessary) have to be made and approval of the Ministry of Education is required to be obtained. The Executive Council may abolish any post under intimation to UGC. However, for conversion of any post to another post prior approval of UGC shall be required.
- 9.2 The seniority of the employees borne in each cadre/post specified in these rules shall be maintained by the Registrar of the University and/or other officer authorized for the purpose by the Competent Authority. Notwithstanding anything contained herein, any class or category of posts and incumbents thereof may be placed in any of the offices or establishments, as the case may be, by general or specific order(s) of the Vice-Chancellor or the Registrar.

10. INITIAL CONSTITUTION:

10.1 The employees holding the posts on regular basis in accordance with the prevailing rules i.e. prior to the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

10.2 The regular continuous service of the personnel mentioned under sub-rule (1) prior to the initial constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension scheme as applicable in the service.

11. PROCEDURE TO BE ADOPTED FOR RECRUITMENT:**I. ISSUE OF ADVERTISEMENT:**

The vacant posts of permanent nature, posts approved under specific schemes of permanent nature, the posts of temporary nature likely to continue, tenure/deputation posts, etc. shall be advertised at an appropriate time, giving at least one insertion in any of the national dailies and one insertion in the University website. The candidates may fill up the prescribed application forms along with the details of qualifications, experience and other requirements as per the procedures to be prescribed by the university and submit the applications duly completed in all respects along with the prescribed application fees, if any, within the stipulated time.

A.1.1 Note:

- (a) *In order to reduce the cost of advertisement, only essential details of the recruitment including the closing date of the application shall be indicated in the advertisement. The closing date may be extended at the discretion of the Vice-Chancellor depending on the exigency of the situation, by notifying on the website only, for which the interested candidates have to be in constant touch with the website of the university.*
- (b) *In addition to the provisions mentioned at Para 11 (I) above, the University at its discretion, may request the Employment Exchange to sponsor candidates for posts as per the prescribed educational qualifications, experience etc.*

II. TIME LIMIT FOR RECRUITMENT PROCESS

The university may ensure that the entire recruitment process including and starting from advertisement, conducting written examination or holding the interview may be completed within six months. (Ref: DoPT O.M.No.Misc.14017/15/2015-Estt.(RR) dated 11.01.2016 duly forwarded by UGC to all central universities vide letter No.F.74-1/2017 (CU) dated 16th October, 2017).

Provided that, if in the opinion of the Vice-Chancellor, the circumstances so warrant, he/she may extend the time limit for the recruitment process by a maximum period of six months.

III. APPLICATION FORM

- (a) Candidates shall be required to download the application forms from the website of the University or submit the applications in the prescribed format online.
- (b) Applications for all the posts shall be entertained only in the prescribed format (Online/Offline), along with the prescribed fee, payable in favour of the **“Central University of Andhra Pradesh”** through online/offline payment.
- (c) The schedule of charges for the application form and the prescribed fee shall be determined by the Vice-Chancellor, from time to time. Concessions in

application/processing fee, wherever provided, shall be as per Govt. of India norms.

(d) Receipt of applications after the closing date:

- The closing date for receipt of applications shall ordinarily be 30 days from the date of release of advertisement on the university website. However, the Vice-Chancellor may, at his discretion, decide the extension of the closing date for receipt of applications, keeping in view the exigency of the situation before the closing date is over. Incomplete applications, and the applications received after the due date, shall not be entertained.
- The Vice-Chancellor may, however, allow the acceptance of any application received after the closing date, subject to production of proof to his/her satisfaction that the application along with the enclosures and the remittance details, if any was posted by the candidate on or before the closing date.
- In case the closing date is a holiday, the next working day shall be treated as the closing date. Incomplete applications and applications not submitted in the prescribed format, not with the prescribed fee, self-certified enclosures, etc. shall be summarily rejected.

- (e) The application should be addressed to “The Registrar, **“Central University of Andhra Pradesh”** in a closed cover super-scribing "Application for the post of

(f) Holding of Written/Skill Tests:

- While filling up the posts under direct recruitment, the University shall hold the written and/or Skill tests for all Group “B” and “C” Non-Teaching posts.
- The written test may comprise Reasoning Ability, Simple Arithmetic, General Knowledge, Domain Knowledge of the Establishment, Accounts, Examinations, Language proficiency in English and Hindi, etc. wherever applicable, noting and drafting etc. and/or skill tests, or any other type of test depending upon the job requirements (such as posts under Technical/Laboratory services, Engineering, Information and Communication Technology, Library services etc.) to be decided by the University.
- The University may conduct written tests in two stages (i) an objective type test (Paper I) carrying 100 marks, and (ii) a descriptive-type test (Paper II) carrying 100 marks.
- The minimum qualifying marks to be secured in Paper I shall be 40%. The answer scripts of the candidates for the descriptive test shall be evaluated only in respect of those candidates who secure the minimum qualifying marks in Paper I. The candidates who secure 50% marks in Paper II shall be called for the skill test/interview, wherever applicable.
- The marks allocated for the skill test, wherever applicable, shall be 50 and the minimum qualifying marks in the skill test shall be 25. The merit list of the candidates shall be drawn based on the performance in Paper I (Objective Type Test) and Paper II (Descriptive test) and Interview (wherever applicable) subject to qualify for the skill test, wherever applicable.

Notwithstanding the above, the University at its discretion may hold single written test (Descriptive Test) and skill test, wherever applicable, depending upon the number of candidates, job requirements (such as posts under Technical/Laboratory services, Engineering, Information and Communication Technology, Library services etc.)

- (g) The marks allocated for the interview wherever applicable shall be 20% of the total marks and shall be added to the marks scored in Paper I and Paper II or single written (descriptive test) test as the case may be for the preparation of the merit list.
- (h) The competent authority to frame the syllabi for the tests, skill tests, modalities for carrying out the tests, evaluation, etc., shall be the Vice-Chancellor.

- (i) Relaxation in qualifying marks or any other relaxation in the test, if any for the reserved categories shall be extended as per the Govt. of India guidelines as amended from time to time.
- (j) The University may at its discretion adopt appropriate procedures for recruitment to Group 'A' non-teaching posts on similar lines as given above.

12. COMPOSITION AND FUNCTIONS OF THE SELECTION COMMITTEE:

12.1 The Composition of Selection Committee shall be as prescribed in the Statutes/Ordinances/UGC Regulations/Notifications/Guidelines/Schedule of CRRs.

12.2 The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Appointing Authority for consideration and approval.

12.3 If two or more candidates are recommended by the Selection Committee, the recommendations shall be made in order of merit.

12.4 No recommendation shall be made by the selection committee with any condition attached to it.

13. QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

The qualification (essential and desirable) and experience required shall be as indicated in the Schedule. The qualification prescribed in the schedule for each of the post shall be the minimum qualification.

14. AGE LIMIT:

The upper age limit for appointment to various posts shall be as specified in the Schedule. The crucial date for determining the age shall be the closing date of the application.

15. RESERVATION OF POSTS:

15.1 The University shall strictly follow the instructions of the Government of India in respect of reservation/relaxation/concessions to various categories in recruitment/promotions, etc., pertaining to age, qualifying marks, experience/fees, etc. as amended from time to time.

15.2 The candidate belonging to the reserved categories shall enclose self-attested copies of the caste/class certificate and/or medical certificate (pertaining to the determination of degrees of disability in case of PwBD candidates) from the competent authority in the format prescribed by the Government of India (subject to verification at a later date), failing which the application shall be rejected.

15.3 A candidate belonging to SC/ST/OBC who has been selected on the same standard as applied to the General candidates and who appears in the general merit list is to be treated as own merit candidate. Such candidate will be adjusted against unreserved point of the reservation roster. In other words, a candidate applying against the unreserved vacancy cannot be considered for any relaxation.

15.4 When a relaxed standard is applied in selecting an SC/ST/OBC candidate, for example in the age limit, experience, qualification, extended zone of consideration larger than what is provided for un-reserved candidates etc., the SC/ST/OBC/PwBD candidates are to be counted against reserved vacancies. Such candidates would be deemed as un-available for the consideration against un-reserved vacancies. However, age relaxation given to PwBD candidates will not be considered as relaxed standard for the above purpose.

Note: Nothing in these Rules shall affect the reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.

Payment of TA: A candidate shall attend the interview at the designated place and time at his own expenses. However, the outstation candidates belonging to the SC & ST categories shall be reimbursed to and from rail fare (sleeper class) for self only by the shortest route. In case any station is not connected by rail, ordinary bus fare shall be paid by the shortest route on production of ticket. The above-mentioned concessions shall not be admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/State Government Service/ or holding any other employment under PSUs/Local Governments/Panchayats.

16. **CONSTITUTION AND ROLE OF SCREENING COMMITTEE:**

- The Vice-Chancellor may constitute a Screening Committee by including at least one outside expert in the relevant field, in addition to the internal members.
- The Member-Secretary to the Screening Committee shall be nominated by the Vice-Chancellor. It shall be the duty of the Member-Secretary to place the relevant documents/rules/guidelines, etc., relating to the selection before the Screening Committee.
- The Screening Committee shall screen the applications and shortlist the candidates in accordance with the eligibility criteria, prescribed in the advertisement and as per recruitment rules. Except for the posts of Registrar, Finance Officer, Controller of Examination, it must be ensured that the ratio of the number of vacant posts to be filled and the number of candidates to be called for interview does not exceed 1:15. In order to comply with this requirement of maximum ratio, the Screening committee may fix higher criteria at its discretion for the candidates.
- If minimum three eligible applicants are not available for any vacancy to appear for the written test/interview, the post shall be re-advertised at-least twice after which the University may take appropriate action with regard to the selection.
- This condition shall not be insisted upon in case of selection on deputation (without absorption). In case of posts in which there is a provision for holding a common written test, all the eligible candidates, subject to the minimum 3, may be called for the written test notwithstanding the maximum prescribed ratio. However, the successful candidates in the written test may be called for interview, wherever required in order of merit subject to maximum ratio of 1:15.
- The Screening Committee(s) may at its discretion, recommend the candidate for the post on conditional basis and the conditions must be complied with, by the candidate before the written test/skill test/interview as the case may be. Till such time, the candidature of the candidate shall continue to remain provisional.

Note: The Acting/In-charge Vice-Chancellor shall not make any appointment to permanent non-teaching positions. However, the Acting/In-charge Vice-Chancellor may constitute a Screening Committee/Selection Committee for the appointment of temporary posts as per MHRD (now MoE) letter F. No. 19-58/2014-Desk (U) dated 09/01/2014 subject to approval of the Executive Council.

17. **CONSTITUTION OF SELECTION COMMITTEES / DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEES/ DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEES ***

The Constitution of the Selection Committees and Departmental Promotion Committees (DPC)/ Departmental Confirmation Committees* are specified in the Schedule-2. The Vice-Chancellor, at his discretion, may include the Head or any other senior member of the unit concerned (in the absence of the Head of the Unit) in the Selection Committee/Departmental Promotion Committee at the time of selection/promotion to any post in the University. Any other member/members can also be included in the Selection Committee/Departmental Promotion Committee as per the GoI/UGC guidelines.

(* Ref: DoPT O.M.No.AB.14017/21/2011-Estt.(RR) dated 10th May, 2013)

A person shall be disqualified for sitting as a member of any Selection/Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee and from taking part in any

selection/promotion process under these Rules, if he is related to any candidate or there would be any conflict of interest in case of his association with the selection process. For this purpose, the University shall obtain an undertaking to this effect from the member concerned prior to the commencement of the selection process as per Govt. of India norms.

18. QUORUM:

- 18.1** The Quorum for the Selection Committee/Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee prescribed under the UGC Regulations/Notifications/Statutes of the University/Instructions shall be applicable *mutatis mutandis* as amended from time to time.
- 18.2** For other posts, two-thirds of the members present shall form the quorum for the meeting of a Selection Committee, which shall include the Chairperson, the Visitor's nominee (wherever applicable), at least one external expert out of the two Experts or at least two external experts out of three Experts and one representative from the respective prescribed category as per GOI norms.

19. DIRECT RECRUITMENT BY OPEN SELECTION:

- 19.1** Wherever the UGC guidelines in respect of any particular non-teaching post are not available or framed, the University shall frame its own recruitment rules, laying down the qualifications, experience and nature of duties, etc., according to the requirements and suitability of the post.
- 19.2** Recruitment to any regular post in the University shall be made on the recommendations of a duly-constituted Selection Committee, as prescribed under these rules.
- 19.3** The Chairman shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and, in case of a tie, shall have a casting vote.
- 19.4** In case two or more candidates are recommended for appointment, the recommendation shall be in order of merit.
- 19.5** The recommendations of the Selection Committee for Statutory posts shall be placed before the Executive Council for approval. If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by a Selection Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Visitor for final orders as prescribed under Statutes.
- 19.6** The recommendations of the Selection Committee for non-statutory Group 'A', 'B' & Group 'C' posts shall be placed before the competent authority as prescribed under these rules for consideration and approval. In case the recommendations of the Selection Committee are not accepted, the reason(s) for non-acceptance of such recommendations shall be recorded and submitted to Executive Council. The power to reject the recommendations of the Selection Committee shall rest with the Executive Council and the decision of the Executive Council shall be final.

20. SENIORITY:

The seniority of each candidate in the respective cadre shall be determined on the basis of his/her position in the merit list recommended by the Selection Committee and in accordance with the relevant rules of the Govt of India/UGC.

21. APPOINTMENT AND JOINING TIME:

- 21.1** The appointment of a candidate shall be subject to the verification of antecedents, educational qualifications, experience and medical fitness.
- 21.2** An offer of appointment issued by the University should clearly specify the period (which shall not normally exceed one or two months) after which the offer would lapse automatically if the candidate did not join within the specified period.
- 21.3** If, however, within the specified period, a request is received from the candidate for extension of time, it may be considered by the University but extension beyond three months shall not be ordinarily granted. It may however be granted by the competent authority only as an exception where facts and circumstances so warrant. In any case extension may be given only up to a maximum of six months from the date of issue of the original offer of appointment. An offer of appointment would lapse automatically after expiry of six months

from the date of issue of the original offer of appointment. The candidate who joins within the above-mentioned period of six months shall have his seniority fixed under the seniority rules applicable to the service/post concerned to which he/she is appointed, without any depression of seniority.

22. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF RECRUITMENT:

- 22.1 Candidate who is already in service shall submit his application through proper channel along with vigilance clearance certificate from the competent authority. However, he may send an advance copy of his application and in case his application is not forwarded due to whatever reasons till the time of written test or interview as the case may be, he/she, should produce a "No Objection Certificate along with the Vigilance Clearance Certificate in a sealed cover" from the employer.
- 22.2 The application for appointment on deputation shall be forwarded by the employer along with the Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/ACR for the preceding five years and Vigilance Clearance Certificate, duly certified by the Competent Authority.
- 22.3 It shall be the responsibility of the candidate to ascertain his/her own eligibility for the post for which he/she is applying in accordance with the prescribed qualifications, experience, etc., and submit his application duly filled-in, along with the desired information and documents as per the advertisement. Suppression of factual information, supply of fake documents, providing false or misleading information or canvassing in any manner on the part of the candidates shall lead to his disqualification. In case, it is detected at any point of time in future, even after appointment, that the candidate was not eligible, his appointment shall be liable to termination forthwith as per this clause. This must be mentioned in the letter of offer and appointment clearly.
- 22.4 Acceptance of documents submitted by an applicant shall be subject to verification by the competent authority at any point of time even after joining the employment. If any document is found to be false/fake/incorrect either before or after appointment, the document shall be summarily rejected or action may be initiated against the candidate which shall lead to cancellation of his appointment, as the case may be.
- 22.5 The person appointed against any post shall be governed by the Act/Statutes/Ordinances/Rules of the University and also the CCS (Conduct) Rules, 1964, CCS (CCA) Rule, 1965 or any other rules of the Government of India, as amended from time to time and any other rule/resolution prescribed specifically for maintaining the conduct of the employees by the Executive Council of the University.
- 22.6 The appointment of a candidate shall be subject to verification of character and antecedents by the competent authority. Until the verification of character and antecedents' reports are received, the appointment shall be treated as provisional. In case the report/s with regard to his conduct, character, antecedents, etc., is found to be unsatisfactory, the appointment shall be cancelled/terminated forth with.
- 22.7 Canvassing in any form on behalf of any candidate shall be treated as a disqualification which shall lead to cancellation of candidature.
- 22.8 In pursuance of the Letter No. 19-50/2015-Desk-U, dated 22.12.2015, of the M.H.R.D (Now MoE), there shall be no interview for appointment to the Group 'C' and 'B' posts. Accordingly, no interview shall be held for appointment to the Group 'C' and Group 'B' posts.
- 22.9 The selected candidate shall produce a medical fitness certificate issued by a Govt. Hospital/or Govt./CGHS empaneled Hospital duly countersigned by the concerned civil surgeon or the Medical Superintendent/Director of the concerned hospital for Group B and C post and certificate from the Medical Board issued by a Govt. Hospital/or Govt./CGHS empaneled Hospital for Group A post as the case may be prior to his joining.
- 22.10 The terms and conditions of appointment shall be communicated to the candidate in the form of 'Offer of Appointment' to the selected candidates. If the candidate does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment within the stipulated time, the offer shall

be treated as withdrawn.

- 22.11** The selected candidates shall be required to perform duties as per the Rules of the University, as amended from time to time. The University shall be free to assign any duty as per the exigency of the situation at any time even during non-working hours/holidays which the employee shall have to perform without fail to avoid any disciplinary action.
- 22.12** The minimum educational qualification and experience, constitution of Selection Committee, prescribed quota, method of recruitment or any other eligibility criteria, etc. for direct recruitment or promotion/under career progression scheme, wherever applicable on the posts of Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, etc. and equivalent posts shall be governed strictly as per the UGC's guidelines/regulations. Any amendment to the Notification/Regulations/Guidelines of the UGC/Government of India in future shall be adopted *mutatis-mutandis* by the University for Implementation in supersession of the existing provisions already adopted and incorporated in these Rules.
- 22.13** At the time of recruitment, a 'Service Agreement' shall be executed between the University and the employee concerned and a copy of the same shall be kept with the Registrar. Such service agreement shall be duly stamped as per the rates applicable.
- 22.14** The candidate shall bring all original certificates relating to his age, qualifications, experience, etc. at the time of tests or interview wherever applicable. In case the candidate fails to submit the original documents for verification of the certified photocopies of the enclosures to his application, he may not be allowed to appear at the tests/interview and his candidature may be treated as cancelled without any further communication in this regard.
- 22.15**
- (i) The details of the vacancies shall be indicated in the advertisement. The University may also include the details with regard to anticipated vacancies arising due to retirement of employee(s) of that particular year or any case of voluntary retirement or resignation for which the employee has served notice prior to the issue of advertisement shall be included in the instant advertisement. The University reserves the right to fill or not to fill up the posts advertised for any reasons whatsoever. However, the number of posts filled up shall not exceed the number of posts advertised including anticipated vacancies.
 - (ii) The University may draw a reserved panel to fill up a post. In case a candidate on higher merit regrets to join within a period of six months or resigns/dies after joining, within a period of one year, the offer shall be made to the next candidate in the merit list, (if otherwise in order), to reduce the delay in filling up of the vacancies. Such a vacancy should not be treated as fresh vacancy.

(Reference: DoPT OM No.41010/18/97-Estt(B) dated 13th June, 2000)

- (iii) The University reserves the right to withdraw an advertisement, either partly or wholly, at any time without assigning any reason.
- (iv) If any advertisement for any post is withdrawn by the University, the application fee collected from the candidates shall be refunded within a reasonable period of time.
- (v) In case of any ambiguity pertaining to the eligibility criteria for any post, the decision of the Executive Council shall be final.

23. PROMOTION:

- 23.1** The candidates to be considered for promotion must comply with the prescribed eligibility criteria as on the date of issue of the notification.
- 23.2** Promotion is earned by dint of hard work, good conduct, and result-oriented performance, as reflected in the APARs. Only performance reported "Good (Grade Point 5)" carrying Pay Level 11, consistently for the preceding five years shall be taken into consideration by the DPC. In case of Group 'A' post carrying Pay Level 12 or above, persons reported "Very Good" (Grade Point 7) shall only be considered. Those with "Average Performance", which is not an adverse remark, shall not be considered for promotion by the DPC. The University may hold the written/skill tests at the time of promotion of the employees of the University and fix qualifying marks as per the schedule appended herewith, in addition to the screening the Annual Performance Appraisal Reports (APAR) for preceding years, depending upon the length of Qualifying Service. While screening the Annual Performance Appraisal Reports,

the University may also fix any other criteria for consideration of the DPC.

- 23.3** The DPC should assess the suitability of the employees for promotion on the basis of their service records and the Annual Performance Appraisal Reports for the preceding five years, as specified above at clause 23.2.
- 23.4** In case there is any adverse entry in the APAR, or for want of prescribed score in the APAR, the case of promotion shall not be considered unless and until the competent authority expunges such adverse entry. If the competent authority does not expunge the adverse entry or does not increase the score after review of performance as per procedures, the employee concerned may have to wait for the required number of reports carrying the prescribed bench marks as required for the post under these Rules.
- 23.5** The eligibility criteria, Vigilance Clearance Reports and APAR dossiers, duly completed in all respects along with the seniority list and results of the written test (if conducted by the University) of the eligible employees to be considered for promotion, with details of the number of vacancies, number of posts reserved for SCs/STs/PwBDs, etc. shall be provided to the DPC for consideration as per GoI rules.
- 23.6** In the case of "Selection", the zone of consideration of eligible officers extended zone for SCs/STs/PwBDs to ensure the promotional chances against the reserved quota shall be decided by the DPC on the basis of the service records of the officers. The normal zone and the extended zone will be as per the Govt. of India rules.
- 23.7** The departmental test shall only be qualifying in nature. The DPC shall make its own assessment of the officers and shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the benchmark "Good" i.e. minimum score 5 for all officers up to the Pay Level 11 and "Very Good", i.e. a minimum score of 7 for all Group 'A' posts up to the Pay Level 12 and above, accordingly, grade the officers as 'fit' or 'unfit' only. Those who are graded as 'fit' shall be included in the select panel in order of their inter-se-seniority in the feeder grade, subject to the availability of regular vacancies. Those employees who are graded 'unfit' by the DPC shall not be included in the selection panel. There shall be no supersession in promotion among those who are graded 'fit'. The grading and score are quoted below:

S.No.	Grading System and Score in APAR
(i)	Grade "between 8-10" shall be rated as 'outstanding' and shall be given a score of 9 for the purpose of calculating average scores for appointment/promotion.
(ii)	Grade "between 6 and short of 8" shall be rated as 'very good' and will be given a score of 7 for the purpose of calculating average scores for appointment/promotion.
(iii)	Grade "between 4 and short of 6" shall be rated as 'good' and shall be given a score of 5 for the purpose of calculating Average scores for appointment/promotion.
(iv)	Below 4 shall be given a score of 'zero'.

- (a) The meeting of the Departmental Promotion Committee (DPC) shall ordinarily be convened at least once a year, which shall depend upon the availability of vacancy.
- (b) The administrative authorities shall ordinarily ensure that the information furnished to the Departmental Promotion Committee are accurate and in proper order in all cases and a certificate to this effect duly signed by the officer designated for the purpose shall form a part of the note for the DPC.
- (c) Penalties of any kind (major) shall constitute a bar to one's eligibility for promotion or confirmation as per DoPT guidelines. However, minor penalty of "censure" would not constitute

a bar on the eligibility and consideration for the purpose of promotion/confirmation unless otherwise mentioned specifically in the order about such a bar on the eligibility.

- (d) The following cases shall be brought to the notice of the DPC:
- (i) Employees under suspension;
 - (ii) In respect of whom a charge-sheet has been issued and disciplinary proceedings are pending; and
 - (iii) In respect of whom prosecution for a criminal charge has been pending in the Court of Law.

The DPC shall assess their suitability without regard to the disciplinary aspect. The findings of the DPC shall be kept in a sealed cover as per the fact recorded in the proceedings of the DPC. The same procedures shall be followed by subsequent DPCs till the disciplinary/criminal cases are concluded. On conclusion of the case, the sealed cover will be opened. In case the officer is completely exonerated, the due date of his promotion shall be determined and he will be promoted notionally with reference to the date of promotion of his junior and if necessary by reverting the junior most officiating person. If not exonerated, the recommendations of the DPC in sealed cover shall not be acted upon.

- (e) The cases of officers under cloud after clearance by the DPC shall be settled in accordance with the Government of India rules.

24. **FUNCTIONS OF THE DPC:**

24.1 The Departmental Promotion Committee (DPC) shall consider and make recommendations in all cases of Group A, B and C employees. The constitution of DPC for various categories of posts shall be as prescribed under the Cadre Recruitment Rules of the University.

24.2 While considering the promotional cases, the Departmental Promotion Committee shall consider the following:

- (i) Provisions of the Rules/Act/Statutes/Ordinances/University Regulations/UGC Regulations/guidelines and GOI Rules as applicable from time to time.
- (ii) Eligibility criteria and relaxations/concessions applicable to the SC/ST/PwBD categories.
- (iii) Work and Conduct Reports
- (iv) The Annual Performance Appraisal Reports (APARs) for the preceding five years along with the Annual Property Returns (APRs) as available with the competent authority. While screening the Annual Performance Appraisal Reports (APARs), the DPC may also adopt the criteria with regard to the bench marks as mentioned in the Statutes/Ordinances/Govt. of India rules.
- (v) Vigilance Clearance Report
- (vi) Roster points of the cadre(s) as per the reservation policy of the Govt. of India/UGC.
- (vii) Performance in the interview/skill test/written test, if conducted by the University as per rules.
- (viii) The DPC is expected to screen the cases and decide the eligibility based on the aforementioned documents like APARs, Vigilance Clearance Report, Roster, Recruitment Rules etc.

Note: In case APAR(s) for any particular period has not been written/endorsed by the designated authority despite the fact that the employee concerned produces the proof of submission of self-appraisal report(s) duly filled-in for that particular period(s) to the concerned section, the DPC/Screening Committee shall ignore the report(s) of that particular period(s) and shall take into account the report(s) of the immediately preceding period(s). It is mandatory on the part of the designated officer to make entry in the relevant register to be maintained for this purpose and issue proper receipt to the employee concerned as a proof of submission of the appraisal reports. There shall be proper entry in the relevant register with regard to each movement of the APAR till the completion of its process.

25. MODE OF PROMOTION:

- 25.1** The university should strictly adhere to the quota prescribed for Promotion of the eligible internal candidates as per the Recruitment Rules. In case candidates are not available under the internal quota and the posts are filled up through direct recruitment in the interest of the university, future vacancy may be shifted proportionately to the Promotion quota and filled up out of the eligible internal candidates from the feeder cadre. In the light of the above, the DPC shall be required to ensure the number of available vacancies under the promotion quota.
- 25.2** In addition to the conditions for promotion for the posts, as specified at 23 above, University may decide the method and procedure to be followed for promotion in respect of any category of posts. For this purpose, the University, at its discretion, may opt the fitness-cum-seniority or hold written test or other trade/professional tests and fix qualifying marks for any post to assess the competence in an objective manner. In such cases, association of at least one external expert shall be mandatory.
- 25.3** Mere possession of eligibility conditions shall not entitle an employee to be promoted to the next higher post from the date of his eligibility. After completion of formalities such as Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/ACRs, Vigilance Clearance Report, the Departmental Promotion Committee may be constituted to evaluate and assess the eligibility of the employees. The employees shall be considered for promotion based on the recommendations of the DPC duly approved by the Competent Authority of the University.
- 25.4** All promotions of the non-teaching staff belonging to Group 'A', 'B' and Group 'C' shall take effect from the date of joining.
- 25.5** Qualifying in Typing Test/Skill Test with knowledge of computers shall be the compulsory requirement for promotion to the post of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk, Assistant, Semi-Professional Assistant, Library Assistant and other positions as identified from time to time. Further, qualifying in Typing Test/Skill Test with knowledge of computers shall be the compulsory requirement for all Personal Assistants of the University who shall be considered for promotion as Private Secretary as per the eligibility criteria prescribed in these Rules as prescribed for direct recruitment. The University may impose any condition to be complied with at a future date failing which the competent authority may order for stoppage of increment.

26. AD-HOC PROMOTIONS:

In case there is an existing vacancy and no eligible employee is available in the feeder Cadre for promotion, the competent authority may consider relaxation by a maximum period of one year at its discretion to promote an employee on ad-hoc basis after completing all procedural formalities, as laid down under Rule 22 above. However, this arrangement shall not be allowed to continue beyond one year in case the employee concerned is not considered for regular promotion.

27. PANEL:

The panel drawn for promotion/direct recruitment shall be valid for a period of one year from the date of the meeting of the DPC/date of approval of the recommendations, respectively.

28. MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME (MACP)/CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS)/DYNAMIC ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME

The financial up-gradation under the Career Advancement Schemes such as MACP/CAS/DACP Scheme in respect of non-teaching staff of the University shall be allowed as per the provisions of

the Act/Statutes/Ordinances, Rules of the University and orders/guidelines of UGC/Government of India (as amended from time to time) duly adopted by the University.

- (a) The Modified Assured Career Progression Scheme (MACPs) of the Govt. of India, duly communicated for implementation by the UGC in respect of Non-Teaching employees, shall be effective from 01.09.2008, or as per the eligibility criteria prescribed by the GOI/UGC from time to time, whichever is later. Similarly, in case of Medical Officer, Dynamic Assured Career Progression Scheme (DACPs) shall be applicable as prescribed by the Govt. of India/UGC from time-to-time.
- (b) In case of up-gradation of pay scale, up to the level of Joint Registrar or equivalent, the Registrar shall chair the meeting of the Screening Committee. The Vice-Chancellor shall nominate at least one external expert and other members representing SC/ST/OBC/PwBD/Minorities etc. wherever required as per the guidelines of the UGC / GoI.
- (c) Any dispute in implementation of the aforementioned Career Advancement Schemes shall be referred to the University Grants Commission, and the decision of the UGC shall be final.

29. **DEPUTATION:**

The University may fill up any post on deputation by drawing officers from Govt. of India/Autonomous Bodies/PSUs as per UGC/GOI Rules. The officer to be considered for deputation against any post below Pay Level-14 must be less than 56 years of age and Pay Level-14 and above must be less than 58 years of age. In case the appointment is made on deputation by following the due process of selection prescribed for the post under the Cadre Recruitment Rules, the incumbent may be allowed to continue for the period as prescribed by the Govt. of India from time to time or till he attains the age of superannuation prescribed for that particular cadre, whichever is earlier. An appointment on deputation may be made initially for a period of three years (except statutory posts) which may be extended further at the discretion of the Competent Authority subject to satisfactory performance. The University, however, shall have the right to repatriate all incumbents, including the incumbents holding the statutory posts, at any time even before the prescribed period in case his performance, integrity or conduct are found to be unsatisfactory at any stage, in the opinion of the competent authority.

Ordinarily, no person working on deputation shall be absorbed in any post of the University after expiry of his period of deputation. In case, it is decided in the interest of the University to absorb any such person, then the University may take up the matter with his parent organisation for concurrence after obtaining the option of the employee concerned subject to the condition that the matter of absorption is specifically mentioned in the advertisement. After obtaining the consent of the parent department, the case shall be placed before the Competent Authority for a final decision. In case he is absorbed in the University, he shall be assigned the bottom seniority of that particular cadre as per the Govt. of India rules.

30. **PROBATION:**

30.1 In case of direct recruitment, the selected candidate shall be kept on probation for a period as specified in these rules. The date from which confirmation should be given effect is the date following the date of satisfactory completion of the prescribed period of probation or the extended period of probation, as the case may be. The decision to confirm the probationer or to extend the period of probation as the case may be should be communicated to the probationer normally within 6 to 8 weeks prior to the completion of Probation period. Probation should not be extended for more than a year and, in no circumstances, an employee should be kept on probation for more than double the normal prescribed period of probation. The officer will be deemed to have successfully completed the probation period if no order confirming, discharging or reverting the officer is issued within eight weeks after expiry of double the normal period of prescribed probation. On completion of the probation period or any extension thereof, employees shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in the appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies as the case may be. In case there is no perceivable improvement despite

all this, his/her services shall be discharged by giving him/her one month's notice in advance or on payment of one month's salary in lieu of notice. The employee concerned may also exercise his/her option to resign by giving one month's notice.

As regards other matters relating to probation, the employee will be governed by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

- 30.2** In the case of promotion to the next higher group, the employee(s) shall be kept on probation for a period of two years from the date of joining. The appointing authority may at its discretion, extend the period of probation by one year on ground of non-performance, misconduct or misbehaviour or if he/she fails to comply with the terms and conditions of the appointment to the post to which he/she was promoted. In case there is no perceivable improvement despite all this, he shall be reverted to his parent post, with immediate effect, and consequently all the employees promoted against the consequential vacancies due to the promotion of this employee shall be reverted to their respective parent posts, in case they cannot be adjusted in any other similar vacant posts. However, there shall not be any probation for promotion within the same group.

Note:

- (i) *If an employee who has been recruited/promoted to any post, avail himself of leave on a piecemeal basis, or at a time for a period of two months or more during the period of probation, his probation shall be extended proportionately, i.e., equal to the total period of leave availed by the employee concerned.*
- (ii) *In order to avoid any anomalous situation, all cases of probation of the officials should be reviewed in every six months. In case, the result of review of performance of an official is found to be unsatisfactory, or not up to the mark, he shall be apprised of the consequences of unsatisfactory performance during the period of probation. Such an appraisal should be issued in advance after which the performance of the official concerned should be continuously kept under observation.*
- (iii) *Notwithstanding anything contained in the above-mentioned provision, if a probationer is placed under suspension during the period of probation, the period of probation may be extended till such period as the appointing authority deems fit in the circumstances.*
- (iv) *As for temporary Government servants they should, as a matter of rule, be asked to resign from the parent department/office at the time of release from the parent department/office. An undertaking to the effect that he/she will resign from the parent department/office, in the event of his/her selection and appointment to the post applied for, may be taken from his/her at the time of forwarding the application. This procedure is to be followed even in case of a temporary Government servant applying as a direct recruit for a post in the same organization.*
- (v) *An employee of the University shall be confirmed through Departmental Confirmation Committee.*
- (vi) *An employee of the University shall not be confirmed on his post unless and until he signs the 'Service Agreement'.*
- (vii) *There shall be no probation in the case of an employee appointed to a post on deputation, tenure or on re-employment after superannuation.*
- (viii) *The appointing authority shall record the reasons in writing while terminating the appointment of a probationer or extension of the normal period of probation.*

31. APPLICATION OF GOVT. OF INDIA RULES/ UGC REGULATIONS:

If any particular provision concerning the qualifications for recruitment and promotion or seniority under these Rules is silent, the corresponding rules operating in the Govt. of India/UGC, or the qualifications prescribed by the Govt. of India/UGC shall apply mutatis mutandis.

Further, the Pay Matrix contained in the Schedules for various posts shall be revised as per the GOI/UGC regulations/guidelines as amended from time to time.

32. **POWER TO RELAX:**

32.1 Relaxation in age, experience, qualifying marks, etc., may be granted to the candidates belonging to the Schedule Caste/Schedule Tribes/OBC/PwBD or any other reserved category for reserved posts as per the UGC/Govt. of India guidelines. A certificate to this effect issued from the competent authority should be attached with the prescribed application form. Wherever a relaxation of qualification, including percentage of marks, is permitted under the UGC/Govt. of India guidelines, such relaxation shall also be considered in appropriate cases subject to recommendations of the Screening Committee.

32.2 The relaxation in age shall also be given in respect of the following categories as mentioned against each:

S.No.	Category of Persons	Extent of age relaxation
1.	Regular Employees of the Central Govt/State Govt./ Central Universities/ UGC maintained deemed to be Universities/ other Central/State autonomous bodies/ organizations/Institutions.	At par with the Government of India Employees as extended under the Government of India rules.
2.	Ex-Servicemen	

The upper age limit for appointment of Group 'C' posts is relaxable for Group 'C' and erstwhile Group 'D' departmental candidates up to 40 years in case of General candidates and 45 years in case of candidates belonging the SC/ST who has rendered three years continuous regular service in university in accordance with the instructions or orders issued by the Govt. of India.

33. **DISQUALIFICATION:**

The following categories of persons shall not be eligible to apply for any position in the University:

- 33.1** who has been convicted by any Court of Law or any criminal proceedings are pending against him;
- 33.2** Who is a person of unsound mind and questionable conduct or not medically fit to perform his duties.
- 33.3** Who has entered or contracted a marriage with a person having a living spouse; Provided that the Competent Authority of the University may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rules.
- 33.4** Who is not a citizen of India; and
- 33.5** Any other category of person disqualified for appointment by the Govt. of India/State Govt./UGC from time to time.

34. **VIGILANCE CLEARANCE:**

34.1 Candidate who is already in service shall submit the Vigilance Clearance Certificate from the employer or his authorised officer, to the effect that no disciplinary/criminal proceedings are pending or contemplated against him. It shall be directly sent by the parent department or be handed over to the employee concerned in sealed cover at

the time of written/skilltest/interview as applicable or along with the application.

34.2 Wilful suppression of factual information or any document relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents or misleading statement or information in the application or tampering with the documents or providing such information relating to the achievements, caste, educational qualifications, experience or domicile, etc., the Chief Vigilance Officer of the University shall have the powers to investigate/inquire into the matter and submit his report to the Vice-Chancellor for further action at any stage of recruitment process or employment. If any of these acts is found to be true, the candidate shall be disqualified for appointment to the post or if already appointed, his/her services shall be liable to be terminated, with immediate effect after adhering to the procedures.

34.3 Notwithstanding the provisions of para 10 in Schedule 2 of the CRR, wherever, there is only one sanctioned post in any cadre, the post shall be filled through direct recruitment only.

35. REMOVAL OF DIFFICULTIES:

If any difficulty arises in the implementation or operation of any of the provision of these rules, the Vice-Chancellor may, from time to time issue with the approval of the Executive Council, such general or specific directions but not inconsistent with the provisions of the Act, Statutes, Ordinances or directives of the Government of India, Ministry of Education/University Grants Commission, which appear to be necessary for the purpose of removing such difficulty.

36. INTERPRETATION:

Any ambiguity or lack of clarity with regard to any clause of the Rules, the matter may be referred to UGC for clarification.

37. AMENDMENT OF RULES:

Amendment, modification, changes, withdrawal, suspension and relaxation in any or all of provisions of these Rules shall be done with prior approval of Govt. of India/UGC.

38. RESIDUARY MATTERS:

In regard to the matters not specified or referred to in these rules, the corresponding

provisions as provided by the UGC for their employees or as prescribed by the Govt. of India relating to its employees, as amended from time to time, shall be followed. In case any particular provision in these Rules is in conflict with any provision of the UGC Regulations/guidelines or Govt. of India Orders, shall the provisions of the UGC Regulations/guidelines or Govt. of India Orders shall prevail.

39. LIABILITY OF OFFICERS TO SERVE ANYWHERE IN INDIA:

The non-teaching employees shall be liable to serve anywhere in India within the jurisdiction of the University.

40. TERRITORIAL JURISDICTION:

In case of any dispute, the territorial jurisdiction for adjudication shall be the *“High Court of Andhra Pradesh”*

41. REPEAL:

All the existing rules and orders in relation to the matters covered under these rules shall stand repealed but any action already taken pursuant to such existing rules and orders shall be deemed to have been taken under these rules.

Schedule -I

REGISTRAR

1	Name of Post	Registrar
---	--------------	-----------

2	Number of Post	1 (One)
3	Classification	Group 'A'
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 14
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	Preferably below 57 years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i) Master's degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration or Comparable experience in research establishment and/ or other institutions of higher education, or 15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct/Deputation for a tenure of five years** or till attaining the age of superannuation i.e. 62 years, whichever is earlier (Eligible for reappointment after observance of due selection process)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Deputation: Qualifications & Experience: As indicated at col. 7. Grade: Holding analogous post or eight years' experience at Pay Level-12 Selection Committee: As at column 12.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Act/Statutes /UGC Notification

**** Note: clause 44 Transitional Provisions CU Act 2009**– Notwithstanding anything contained on this Act and the Statutes-

(a)-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

(b)The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Visitor and each of the said officers shall hold office for a term of three years

FINANCE OFFICER

1	Name of Post	Finance Officer
2	Number of Post	1 (One)
3	Classification	Group 'A'

4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 14
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	Preferably below 57 years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i) Master's degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration or Comparable experience in research establishment and/ or other institutions of higher education, or 15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct/Deputation for a tenure of five years ** or till attaining the age of superannuation i.e. 62 years, whichever is earlier (Eligible for reappointment after observance of due selection process)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Deputation: Appointment preferably by drawing officers not below the Level 12 belonging to the Indian Audit and Accounts services or other similar organized Services in Central/ State Govt. or University System/ Other organisation subject to fulfilment of qualification as indicated under col. 7 on Deputation for a tenure of 5 years or till attaining the age of 62 years, whichever is earlier. Note: The Selection Committee for deputation shall be the same as at column 12.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Act/Statutes /UGC Notification

**** Note: clause 44 Transitional Provisions CU Act 2009– Notwithstanding any thing contained on this Act and the Statutes-**

(a)-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

(b) The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Visitor and each of the said officers shall hold office for a term of three years

CONTROLLER OF EXAMINATIONS

1	Name of Post	Controller of Examinations
2	Number of Post	1 (One)
3	Classification	Group 'A'

4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 14
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	Preferably below 57 years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i) Master's degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration or Comparable experience in research establishment and/ or other institutions of higher education, or 15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct/Deputation for a tenure of five years or till attaining the age of superannuation i.e. 62 years, whichever is earlier (Eligible for reappointment after observance of due selection process)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation: Qualifications & Experience: As indicated at col. 7. Grade: Holding analogous post or eight years' experience at PayLevel-12 Selection Committee: As at column 12.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Act/Statutes /UGC Notification

DEPUTY REGISTRAR

1	Name of Post	Deputy Registrar
2	Number of Post (s)	As per the UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 12
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	50 Years
7	Educational and other qualifications required for direct	Essential Qualifications:

	recruits	i. Master's Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. ii. Five years of experience as Assistant Registrar or inequivalent post in the Pay Level 10 and above.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Academic Qualification: Must possess at least Bachelor's degree from a recognized University.
9	Period of probation, if any	One year
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	75% by Direct Recruitment 25% by promotion, failing which by deputation. (Ref: MHRD Letter No.1-7/2015-.U.II (2) dated 02/11/2017)
11	In case of recruitment by promotion/deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation /absorption to be made	Promotion: Assistant Registrar with five years regular service in Pay Level 11. Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis or with five years regular service in Pay Level 11 or with eight years regular service in Pay Level 10 in the Central/State Government, Universities and other autonomous organizations.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

ASSISTANT REGISTRAR

1	Name of Post	Assistant Registrar
2	Number of Post (s)	As per the UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct Recruits	Essential Qualifications: I. Master's Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. II. The appointment under direct recruitment shall be made through an All India open competition by conducting a written test and interview.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Qualification: No, but must possess at least Bachelor's degree from a recognized University/Institute.

9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by direct recruitment 50% by promotion, failing which by deputation/direct recruitment.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion /deputation /absorption to be made	Promotion: 5 years of regular service as Section Officer / Private Secretary (pay level 7 & above). Based on merit from among the eligible candidates having requisite experience from feeder cadres on the basis of a written test. Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis or with 5 years regular service in lower grades position in Level 7/Level 8 in the Central /State Government, Universities and other autonomous organizations. Knowledge of Computer Applications
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SECTION OFFICER

1	Name of Post	Section Officer
2	Number of Post (s)	As per the UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not Applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: i) A Bachelor's Degree in any discipline from any recognised Institute/ University. ii) Three Years' Experience as Assistant in the Level 6 or eight years as UDC in Level 4 in any Central / State Govt./ University/ PSU and other Central or State Autonomous Institutions or holding equivalent positions in any reputed Private companies/ bank with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more. iii) Proficiency in Computer Operation, noting and drafting.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Academic Qualification: Yes (As indicated at column 7)
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and	75% by Promotion from the cadre of Assistant subject to qualifying the departmental test, failing which by deputation.

	percentage of the post to be filled by various methods.	25% by Direct Recruitment (based on written test and skill test)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Promotion: 05 years of regular service from the feeder grade of Assistant in Level 6 subject to seniority-cum-fitness with academic qualification as in Col.7 above. Deputation: Officers holding analogous post on regular basis or with three years regular service in Level 6 or equivalent in the Central/ State Govt. Universities or autonomous organizations and possess the Bachelor's degree as prescribed for direct recruits at Col.7 above.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

ASSISTANT

1	Name of Post	Assistant
2	Number of Post (s)	As per the UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Non-Selection in case of promotion Not Applicable in case of Direct Recruitment/Deputation
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: Bachelor Degree from a recognized University / Institution. Three Years of experience as UDC or equivalent in the Level 4 in Central/ State Government/ University/ PSU and other Central / State Autonomous Bodies or equivalent pay package in the reputed private Companies/ corporate banks with a minimum annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more. Proficiency in Typing, Computer applications, noting and drafting.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Academic Qualification: Yes (As indicated at column 7)
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	75% by Promotion 25% by Direct Recruitment (based on written test and skill test)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: UDC with 5 years of regular service in Level 4 according to seniority-cum-fitness.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

UPPER DIVISION CLERK

1	Name of Post	Upper Division Clerk
2	Number of Post (s)	As per the UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 4
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 1. A Bachelor's Degree from any recognized Institute/University. 2. Two year experience as Lower Division Clerk/ Equivalent posts in University/ Research Establishment / Central State Govt./ PSU/ Autonomous Bodies or equivalent pay package in the reputed private Companies/ corporate banks with a minimum annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more. 3. Speed in English Typing @ 35 wpm OR Speed in Hindi Typing @ 30 wpm 4. Proficiency in Computer Operations.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	No
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	75% by Promotion 25% by Direct Recruitment (based on written test and skill test)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Lower Division Clerk/Hindi Typist with five years regular service in Pay Level 2 according to seniority cum fitness failing which by direct recruitment.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

**The post of Hindi Typist is to be clubbed with LDC for the purpose of Career progression with bottom seniority in future, inter-se-seniority between the two cadre shall be maintained*

LOWER DIVISION CLERK

1	Name of Post	Lower Division Clerk
2	Number of Post (s)	As per the UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C

4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 2
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Non-Selection for Col. 10 (iii) Not Applicable for Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: (i) A Bachelor's Degree from any recognized Institute/University. (ii) English Typing @ 35 wpm OR Hindi Typing @ 30 wpm(35wpm and 30wpm correspond to 10500KDPH/9000KDPH on an average of 5 Key depressions for each work) (iii) Proficiency in Computer Operations.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	No
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	i) 85% by Direct Recruitment through written and skill test in various components of MS Office particularly in MS Word, MS Excel, etc. ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the Group 'C' employees in the Level 1 and who possess Senior Secondary (10+2) or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of the departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for such examination is 45 Years** Note: The panel shall be valid for a period of one year. iii. Promotion: 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' (MTS) employees who have five years regular service in posts in the Level 1 subject to fulfilling the educational qualification of (10+2) or equivalent. The relaxation of Skill/Typing Test for the promotion from MTS to LDC shall be governed as per DoPT OM No. F.o.14020/1/2014-Estt. (D) dated 22nd April, 2015.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	As in Column No. 10
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

****Only those Group-C (Level-1) employees, who are holding the posts of MTS/Isolated posts shall be considered eligible for the post of LDC through Departmental Qualifying Examination.**

MULTI TASKING STAFF

1	Name of Post	Multi-Tasking Staff (MTS)
2	Number of Post (s)	As per the UGC approved sanctioned strength of the University

3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 10 th Pass from a recognized Board. OR ITI Pass.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment through Written and Trade Test.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

INTERNAL AUDIT OFFICER

1	Name of Post	Internal Audit Officer (On Deputation only)
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 12
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	56 Years (on deputation)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Deputation
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation /absorption to be made	Deputation: By drawing officers belonging to Audit and Accounts Services or other similar organized Accounts Services in Central / State Govt., holding analogous posts on regular basis.

		OR with three years regular service in Level 11 or equivalent in the area of Audit and Accounts in any Govt. Department/ Autonomous Bodies. OR with five years regular service in Level 10 or equivalent in the area of Audit and Accounts in any Govt. Department/ Autonomous Bodies.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

PUBLIC RELATION OFFICER

1	Name of Post	Public Relation Officer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: i. Masters' Degree with at least 55% of marks or its equivalent grade of B in the UGC 7 point scale in Journalism and Mass Communication from recognized University / Institute. ii. At least Five years experience in the editorial department/ Centre of any Central / State Govt. department / PSU / Central / State Educational Institutions established English/ regional Newspaper accredited with ABC, National News Agencies, Radio or Television, Film Media, reputed advertising agencies with excellent command of speaking in English, Hindi and Regional Language. Desirable: Good working knowledge of computer applications.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/	Not Applicable

	deputation/absorption to be made	
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

LAW OFFICER

1.	Name of Post	Law Officer
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3.	Classification of the post	Group 'A'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 10
5.	Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits	40 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification: (i) LLB. from a recognized Indian Universities /Institutions with at least 7 years' experience of law practice in a Court of Law in the civil/criminal/service matter duly certified. (ii) LL.M. from the recognized Indian Universities / Institutions with at least 55% of marks or an equivalent grade point in the grade point scale.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any.	Two Years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

TRAINING AND PLACEMENT OFFICER

1.	Name of Post	Training and Placement Officer
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3.	Classification of the post	Group 'A'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 10

5.	Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits	40 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualification (i) MBA (HR)/ B.Tech from a recognized Indian Universities/ Institutions with at least 55% of marks or an equivalent grade point in the grade point scale. (ii) At least 7 years' experience in the area of Training/Placement in a University or big corporate of repute.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any.	Two Years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by promotion/deputation / absorption, grades from which promotion /deputation/absorption to be made.	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

ESTATES OFFICER

1	Name of Post	Estates Officer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	A second class Bachelor's degree in Civil Engineering with a minimum of 5 years' experience in construction and maintenance of Building, Transport and Estate Management.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion	Direct Recruitment through written test

	or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	
11	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation /absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

STATISTICAL OFFICER / RESEARCH CUM STATISTICAL OFFICER

1	Name of Post	Statistical Officer / Research cum statistical Officer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification : Master's degree in Statistics/Mathematical Statistics /Applied Statistics. 03 years experience in collection, compilation, tabulation, analysis & interpretation of statistical data in a Central/State Govt., PSUs/Statutory Bodies/ Autonomous Organizations
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SENIOR STATISTICAL ASSISTANT

1.	Name of Post	Senior Statistical Assistant
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3.	Classification of the post	Group 'B'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 6
5.	Selection or Non-Selection Post	Selection
6.	Age limit for direct Recruits	35 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification : Bachelor's degree in relevant field from a recognized Institution with 05 years post qualification experience in the relevant field from any Institution / Organization of Repute. OR 02 years diploma in the relevant field from a recognized Institution with 08 years of post-qualification experience in the relevant field from any Institution / Organization of Repute. Degree or Diploma in Computer Application.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions?	Age : No. Qualification : Yes Five years' experience as Statistical Assistant based on Seniority-cum-fitness.
9.	Period of probation, if any.	Two Years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	50% by promotion failing which by Deputation / Direct Recruitment. 50% by Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion / deputation	Promotion: 5 years regular service in the Pay Level 5 based on Seniority-cum-fitness subject to fulfillment of qualification mentioned at Column 8 Deputation: Analogous post / Level 5 with requisite experience at Column 7.
12.	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

STATISTICAL ASSISTANT

1	Name of Post	Statistical Assistant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for	Bachelor's Degree in Statistics

	direct recruits	OR Bachelor's degree in Mathematics with Statistics as one of the subjects OR Bachelor's degree in Economics with Statistics as one of the subjects OR Bachelor's degree in Commerce with Statistics as one of the subjects
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment through written test
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

PRIVATE SECRETARY

1	Name of Post	Private Secretary
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: 1. A Bachelor's Degree from a recognized University/Institute. 2. At least 03 Years experience as Personal Assistant or 5 years as Stenographer in a University/ Research establishment/ Central/ State Govt. /PSU and other autonomous bodies. 3. English/Hindi Stenography speed:120 wpm in English or 100

		wpm in Hindi 4. English/Hindi Typing speed: 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi. 5. Knowledge of computer applications. Skill Test Norms on Computer: Dictation: 10 minutes @ 120 w.p.m. in English/100 w.p.m. in Hindi Transcription: 50 minutes (English)/ 60 minutes (Hindi) Desirable: Proficiency in English & good communication skills.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Academic Qualification: Yes
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	i) 75% by promotion ii) 25 % by direct recruitment failing which by deputation.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Personal Assistant with 05 (five) years regular service in Level 6 on the basis of seniority-cum-fitness, subject to qualifying in the stenography test as mentioned under column 7. Deputation: Persons holding analogous posts on regular basis or with 3 years regular service as Personal Assistant in the Level 6/Level 7 of any Central/State Govt./ University/ Public Sector Undertaking as other Central or State Autonomous bodies and fulfilling the educational qualifications and other professional requirements as prescribed at column 7.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

PERSONAL ASSISTANT

1	Name of Post	Personal Assistant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not Applicable in case of Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 1. A Bachelor's Degree in any discipline from any recognised Institute/ University.

		2. Proficiency in Stenography in English or Hindi with minimum speed of 100wpm. 3. Proficiency in Typing in English or Hindi with minimum speed of 35 / 30 wpm respectively. 4. Knowledge of Computer Applications. 5. Two years experience as Stenographer or equivalent in Central State Govt. Organizations / University Research Institution or Central / State autonomous Institution/reputed private institutions having a turnover 200 Crores. Desirable: Proficiency in English and good communication skills. Skill Test Norms on Computer: Dictation: 10 minutes @ 100 w.p.m. Transcription: 40 minutes English/55 minutes Hindi
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	i) 75% by promotion failing which by deputation. ii) 25 % by direct recruitment failing which by deputation.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion : Stenographer with 05 (five) years regular service in Level 4 on the basis of seniority-cum-fitness, subject to qualifying in the stenography test as mentioned under column 7. Deputation: Officers holding analogous post on regular basis or with three years regular service in Level 4/Level 5 or equivalent in the Central/ State Govt. Universities or autonomous organizations and possess the qualification as prescribed for direct recruits at Col.7 above.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

STENOGRAPHER

1	Name of Post	Stenographer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 4
5	Whether Selection or non-selection post	Not applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 1. A Bachelor's Degree in any discipline from any recognized Institute/ University. 2. Proficiency in Stenography in English or Hindi with minimum speed of 80wpm. 3. Proficiency in Typing in English or Hindi with minimum speed of 35 / 30 wpm respectively.

		4. Knowledge of Computer Applications. Desirable Qualifications: Proficiency in English and Skill Test Norms on Computer: Dictation: 10 minutes @ 80 w.p.m. Transcription: 50 minutes English/65 minutes Hindi
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	100% by Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

INFORMATION SCIENTIST

1	Name of Post	Information Scientist
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether or non-Selection selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: First Class M.E. / M.Tech. (Computer Science) / Information Technology) Or equivalent. OR First Class B.E. / B.Tech (Computer Science) / Information Technology) or equivalent with two years of relevant experience. OR First Class Master in Computer Applications (MCA) or equivalent with two years of relevant experience. OR First Class M.Sc. (Computer Science/ Information Technology) from a recognized University/ Institute with three years of relevant experience. OR First Class Masters Degree in Library and Information Science

		(M.Lib. or M.LIS) and Post Graduate Diploma in Computer Applications or MCA or M.Sc. (Computer Science/Information Technology) Desirable Qualification: Relevant experience in Library/office automation/server configuration/maintenance of e-resource/data base management/content management/ programming/ development of website/portals/information systems/gateway and networking.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by deputation
11	In case of recruitment by promotion/deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officers of the Central/ State Government, Autonomous or Statutory Organisation, PSU, University or recognized research institution; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or (ii) with 5 years' service rendered after appointment to the post on regular basis in the Level 6/7 or equivalent in the parent cadre or department; and Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

PROFESSIONAL ASSISTANT

1	Name of Post	Professional Assistant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: 1. Master's Degree in Library & Information Science from any recognized University /Institution with 02 years experience in the relevant field in a University/Research establishment / Central / State Govt. / PSU and Library of other autonomous Institutions. OR Bachelor's Degree in Library / Library and Information Science from any recognized Institute/ University with 03 years experience in the relevant field in a University / Research Establishment / Central / State Govt. / PSU and Library of other

		autonomous Institutions. 2. Knowledge of Computer Applications.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Academic Qualification: Yes as at (column 7).
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	i) 75% by promotion ii) 25 % by direct recruitment failing which by deputation.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Semi Professional Assistant with five years regular service in Level 5 through seniority-cum-fitness, subject to qualifying in the Computer typing test failing which by deputation / direct recruitment Deputation: Employees of the Central/ State Government, Autonomous or Statutory Organisation, PSU, University or recognized research institution; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department. (ii) With 5 years' service rendered as Semi Professional Assistant in the Level 5 or equivalent in the parent cadre or department. (iii) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SEMI PROFESSIONAL ASSISTANT

1	Name of Post	Semi Professional Assistant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: Master's Degree in Library Science and Information Science from any recognized University/Institution OR Bachelor's Degree in Library/ Library and Information Science from a recognized Institute/ University with two years relevant experience in a University/ Research Establishment / Central / State Govt./ PSU Autonomous Institutions.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Academic Qualification: Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by	75% by Promotion failing which by direct recruitment. 25% by Direct Recruitment

	promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	
11	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Promotion: Library Assistant with 5 years of regular service in Level 4.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

LIBRARY ASSISTANT

1	Name of Post	Library Assistant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 4
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not applicable in case of Direct Recruitment.
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: i) Bachelor's degree in Library & Information Science or equivalent from a recognized University. ii) Typing speed of 30 words per minute in English. iii) Knowledge of Computer Applications.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Qualification: No. But must possess the qualification as indicated in Column 11.
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	75% by promotion 25% by Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Library Attendant possessing 10+2 qualification or equivalent and certificate in Library Science with five years regular service in Level 1.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

LIBRARY ATTENDANT

1	Name of Post	Library Attendant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: i) 10+2 or its equivalent examination from a recognized Board. ii) Certificate course in Library Science from a recognized Institution. iii) One year experience in a University/ College/ Educational Institution Library. iv) Basic knowledge of computer applications.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

TECHNICAL OFFICER / MAINTANANCE ENGINEER

1	Name of Post	Technical Officer / Maintenance Engineer
2	Number of Post(s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group 'A'
4	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay	Level 10
5	Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: (i) Master's Degree with 55% marks in the relevant subject. (ii) 5 years' experience of maintenance / operation of sophisticated scientific Instruments in the Laboratory as Senior Technical Assistant or equivalent.

		OR Researchers having 5 years experience of operation of Sophisticated scientific Instruments in the Laboratory at Post Doctoral Level will also be eligible. The experience should be in University/ Research establishment / Central / State Govt. / PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	NA
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SENIOR TECHNICAL ASSISTANT

1	Name of Post	Senior Technical Assistant
2	Number of Post(s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group 'B'
4	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay	Level 6
5	Whether selection or non-selection post	Non-Selection Not Applicable for direct recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: Master's Degree in the relevant subject with at least two years experience in relevant field OR First Class Bachelor's Degree in the relevant subject with minimum five years of working and maintenance experience of sophisticated scientific Instruments in the Laboratory. However, the relevant subject will be as decided by the university as per the functional requirement of the department concerned. The experience should be in University/ Research establishment / Central / State Govt. / PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct	No

	recruits will apply in the case of promotions	
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	75% by Promotion 25% by Direct Recruitment (based on written test and skill test)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion: Technical Assistant with five years regular service in the Level 5 according to seniority-cum-fitness
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

TECHNICAL ASSISTANT

1	Name of Post	Technical Assistant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Non Selection Not Applicable in case of direct recruitment.
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: Bachelor's degree with minimum three years of working and maintenance/ operation experience of Scientific Instruments in the Laboratory. However, the relevant subject will be as decided by the university as per the functional requirement of the department concerned. The experience should be in University/ Research establishment / Central / State Govt. / PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	No
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	75% by Promotion. 25% by Direct Recruitment (based on written test and skill test)
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption,	Promotion: Laboratory Assistant with five years of regular service in Level 4 according to seniority-cum-fitness failing which by direct

	grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	recruitment/deputation
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

LABORATORY ASSISTANT

1	Name of Post	Laboratory Assistant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 4
5	Whether Selection or non-selection post	Selection Not Applicable for Direct Recruitment
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: Bachelor's degree with minimum two years of working and maintenance experience of sophisticated scientific Instruments in the Laboratory. However, the relevant subject will be as decided by the university as per the functional requirement of the department concerned. The experience should be in University/ Research establishment / Central / State Govt. / PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Academic Qualification: Yes
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	25% by Promotion 75% by Direct Recruitment .
11	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Laboratory Attendant with eight years of regular service in Level 1 with the requisite qualification prescribed at Col.No.7.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

LABORATORY ATTENDANT

1	Name of Post	Laboratory Attendant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether or non-Selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 10+2 with Science stream from any recognized Central/ State Board OR 10 th Pass from any recognized Central/ State Board with Science as one of the subjects and skill certificate programme in Laboratory Technology.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SYSTEM MANAGER / SENIOR SYSTEM ANALYST

1.	Name of Post	System Manager / Senior System Analyst
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3.	Classification of the post	Group 'A'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 12
5.	Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits	50 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualification: B.E./B.Tech.(Computer Science & Engineering) with at least 55% of marks and 9 years of experience of extensive programming and System Management from a recognized Public/PUS/Private organization. OR M.Sc. (Computer Science)/MCA/M.Tech.(Computer Science &

		Engineering) with 55% of marks and 8 years' experience of extensive programming and system management from a recognized Public/PUS/Private organization.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any.	One Year
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by deputation.
11.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	Deputation : An Officer of Central Government, State Government, Union Territories, Autonomous/ Statutory Organizations, PSUs, Universities or recognized Research Institutions holding the analogous post and pay in parent cadre of department. OR Having five years of experience in the above mentioned organization in pay level 10/11 or equivalent on regular basis in parent cadre or department.
12.	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SYSTEM ENGINEER / SENIOR MAINTENANCE ENGINEER

1.	Name of Post	System Engineer / Senior Maintenance Engineer
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3.	Classification of the post	Group 'A'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 12
5.	Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits	50 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	E.Q.: B.E./B.Tech in Computer Science & Engineering/ Electronics Engineering/M.Sc. Computer Science/MCA with 07 years of experience. OR M.E./M.Tech. in Computer Science & Engineering/Electronics Engineering with 05 years of experience. Experience: Experience should be at appropriate level in industry / University level Computer Centre in the areas of Servers configuration, storage systems, backup systems, Linux/Unix Software Engineering, Design and Validation, Databases, Computer Networks from a recognized Public/PUS/Private organization.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions?	Not Applicable

9.	Period of probation, if any.	One Year
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by deputation.
11.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Deputation: An Officer of Central Government, State Government, Union Territories, Autonomous/ Statutory Organizations, PSUs, Universities or recognized Research Institutions holding the analogous post and pay in parent cadre of department. OR Having five years of experience in the above-mentioned organization in pay level 10/11 or equivalent on regular basis in parent cadre or department.
12.	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

JUNIOR MAINTENANCE ENGINEER / NETWORKING ENGINEER

1.	Name of Post	Junior Maintenance Engineer / Networking Engineer
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3.	Classification of the post	Group 'A'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 10
5.	Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits	40 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification.: (1) B.E./B.Tech. in Electronics & Communication Engineering/Computer Science & Engineering (2) 05 years" experience of Computer Network administration and Computer hardware including Massive UPS systems and Centralized Air- conditioning Plants/ Computer Systems Management and administration /Maintenance of a campus wide large computer network preferably with fiber optic backbone links from a recognized Public/PUS/Private organization. Desirable Qualification : Experience of Industrial background.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any.	Two Years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and	Direct Recruitment

	percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
11.	In case of recruitment by promotion / deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Not Applicable
12.	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SYSTEM ANALYST/ PROGRAMMER/COMPUTER PROGRAMMER/SYSTEM PROGRAMMER

1.	Name of Post	System Analyst/ Programmer/Computer Programmer/System Programmer
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3.	Classification of the post	Group 'A'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 10
5.	Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits	40 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification : 1. B.E./B.Tech. in Computer Science & Engineering/Electronics Engineering. 2. 05 years programming experience in in languages like C/C++/JAVA etc. databases: MySQL/ORACLE with PHP etc. Foundations and practices under WINDOWS/LINUX/UNIX platforms from a recognized Public/PUS/Private organization. OR 3. M.E./M.Tech. in Computer Science & Engineering/Electronics Engineering/M.Sc. Computer Science/MCA. 4. 03 years' programming experience in languages like C/C++/JAVA etc. databases: MySQL/ORACLE with PHP etc. Foundations and practices under WINDOWS/LINUX/UNIX platforms from a recognized Public/PUS/Private organization.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any.	Two Years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/	Not Applicable

	absorption to be made.	
12.	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (COMPUTER) / JUNIOR PROGRAMMER / ASSISTANT PROGRAMMER

1.	Name of Post	Senior Technical Assistant (Computer) / Junior Programmer / Assistant Programmer
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3.	Classification of the post	Group 'B'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 6
5.	Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits	35 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification : (1) B.E./B.Tech. in Computer Science & Engineering/Electronics Engineering. OR M.C.A./M.Sc. in Computer Science (2) 02 years programming experience in in languages like C/C++/JAVA etc. databases: MySQL/ORACLE with PHP etc. Foundations and practices under WINDOWS/LINUX/UNIX platforms from a recognized Public/PUS/Private organization.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any.	Two Years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Direct recruitment through Written Test and Skill Test (if required)
11.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Not Applicable
12.	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

TECHNICAL ASSISTANT (COMPUTER)

1	Name of Post	Technical Assistant (Computer)
---	--------------	---------------------------------------

2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Not applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualification : i) Bachelor's Degree in Engineering / Technology in Computer Science and Technology / Information Technology from any recognized University or Institute. OR ii) Master's Degree in Computer Science/Technology / MCA from any recognized University / Institute. At least 02 years experience in relevant field in University/ Research establishment / Central / State Govt. / PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not applicable.
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not applicable.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SUPERINTENDING ENGINEER (CIVIL) / UNIVERSITY ENGINEER

1	Name of Post	Superintending Engineer (Civil)/University Engineer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 13

5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	56 Years (for deputation)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: First Class Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized Institute/ University or equivalent. 08 years of experience as Executive Engineer in the relevant field from CPWD/State Government PWD services or similar organized services/Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous organization/ University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more Desirable Qualifications: Experience in construction of projects of multi-storey buildings and constructions. Knowledge of Computer Aided Design (CAD) and latest Management Technology/other relevant software.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	By Deputation or Appointment on Tenure basis.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officers holding analogous post or with 8 years experience as Executive Engineer (Pay Level 11) or equivalent, in the CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous Organisation/ University System:
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL)

1	Name of Post	Executive Engineer (Civil)
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 11(after 5 years of service as Executive Engineer with level 11, an incumbent shall be assessed by the Departmental Promotion Committee –DPC for moving to the level 12 in the same designation)
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable

6	Age Limit for Direct Recruits	45 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: a) First Class Bachelor's Degree in the Civil Engineering from a recognised Institute/ University or equivalent. b) 08 years of experience as Assistant Engineer in the relevant field from CPWD/State Government PWD services or similar organized services/Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous organization/ University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more Desirable Qualifications: 1. Experience in construction of projects of multi-storey buildings and have experience in planning/estimation/measurement/tendering as per the CPWD/ PWD norms. Good knowledge of CPWD manuals, preparations/checking of estimates, drawings, structural details, bill of quantities, substitute/deviation items statements and other associated issues related with building and constructions. 2. Knowledge of Computer Aided Design (CAD) and latest Management Technology/other relevant software.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	By promotion failing which deputation/direct recruitment
11	In case of recruitment by	Promotion: Assistant Engineer having degree relevant branch of engineering with 08 years of regular services in the pay level 7 based on Seniority-cum-fitness from Assistant Engineers subject to fulfilment of academic qualification mentioned at Column 7 Deputation: Officers holding analogous post or one below category with 3 years experience, in the CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous Organisation/ University System:
12	Composition of DPC or Selection committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)

1	Name of Post	Executive Engineer (Electrical)
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 11 (after 5 years of service as Executive Engineer with level 11, an incumbent shall be assessed by the Departmental Promotion Committee – DPC for moving to the level 12 in the same designation)
5	Whether Selection or non-selection post	Selection

6	Age Limit for Direct Recruits	45 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 1. First Class Bachelor's Degree in Electrical Engineering from a recognized Institute/ University or equivalent. 2. 08 years of experience as Assistant Engineer in the relevant field from CPWD/State Government PWD services or similar organized services / Semi Government / PSU / Statutory or Autonomous organization/ University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more Desirable Qualifications: Experience in construction / maintenance of sub-stations/ multi-storey buildings, distribution system and have experience in planning / estimation / tendering as per the CPWD/ PWD norms. Good knowledge of CPWD manuals, preparations/checking of estimates, drawings, bill of quantities, substitute/deviation items statements and other associated issues related with electrical installations.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Qualification: Yes(as at column 7)
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	By promotion failing which by Deputation / Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Assistant Engineer having degree relevant branch of engineering with 08 years of regular services in the pay level 7 (GP 4600) based on Seniority-cum-fitness from Assistant Engineers subject to fulfilment of academic qualification mentioned at Column 7 Deputation: Officers holding analogous post or one below category with 3 years experience, in the CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous Organisation/ University System:
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

ASSISTANT ENGINEER (CIVIL / ELECTRICAL / MECHANICAL)

1	Name of Post	Assistant Engineer (Civil / Electrical / Mechanical)
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Selection
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct	Qualifications: i) First Class Bachelor's Degree in relevant field from a recognized

	recruits	Institute/ University or equivalent. ii) Three years' experience in the relevant field as Junior Engineer or Equivalent in State Government PWD services or similar organized services/ Statutory or Autonomous organization/ University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Age: No Qualification: Yes as in (column.7)
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	50% by direct recruitment 50% by promotion NOTE: Wherever there is only one sanctioned post selection will be made by direct recruitment.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion: Five years of regular service as Junior Engineer having degree in a relevant branch of engineering and technology; or 08 years of regular service having diploma in engineering. Deputation: Officers holding analogous post or one below category with 3 years experience, in the CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous Organisation/ University System:
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

JUNIOR ENGINEER

1	Name of Post	Junior Engineer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: Bachelor's Degree of Engineering/Technology in relevant field from a recognized Institute/ University with one year relevant experience OR Diploma in Engineering in the relevant field and three years' experience in relevant field in CPWD / State PWD or Similar Organized Services / Statutory or Autonomous Organizations / Central / State Universities / Autonomous Institutions or reputed Private construction company with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable

9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

HINDI OFFICER

1	Name of Post	Hindi Officer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – A
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 10
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	40 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English. With English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level AND Three Years experience of using / applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central / State Govt. / Autonomous Body / Statutory

		Organisation / PSU / Universities or recognized research or educational institutes OR Three Years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central / State Govt./ Autonomous Body/ Statutory Organizations/ PSUs/ Universities or recognized research or educational institutions. Desirable Qualifications: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognized board.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by	Direct Recruitment
	promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	
11	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/ Deputation / absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

HINDI TRANSLATOR

1	Name of Post	Hindi Translator
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than

		Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English. With English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level AND Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognized board.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

HINDI TYPIST

1	Name of Post	Hindi Typist
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 2
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and	Essential Qualifications:

	other qualifications required for direct recruits	Bachelor's Degree from a recognized University/ Institute. 30 words per minute in Hindi Typing Speed. Knowledge of Computer Applications
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/ Deputation /absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SECURITY OFFICER

1	Name of Post	Security Officer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 7
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: Bachelor's Degree from a recognized University/ Institution with five years experience as Security Supervisor / Supervisory Position in Security in a Govt. Office, Educational Institute / Private Organisation of repute with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more OR Persons who have served in the Army or such Uniformed Service at JCO level or equivalent or above, with 10th standard pass or Army class I Examination or an equivalent examination. AND Holding a valid Driving License (LMV/ Motor cycle).
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years

10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by deputation.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officer from the Central/ State Govt./ Universities/ Other autonomous organizations. i. Holding analogous post on regular basis. OR ii. With three years regular service in the relevant field in the Level 6.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

ASSISTANT SECURITY OFFICER

1	Name of Post	Assistant Security Officer
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: Bachelor's Degree from a recognized University/ Institution with five years experience as Security Supervisor / Supervisory Position in Security in a Govt. Office, Educational Institute / Private Organisation of repute with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more OR Persons who have served in the Army or such Uniformed Service at JCO level or equivalent or above, with 10th standard pass or Army class I Examination or an equivalent examination. AND Holding a valid Driving License (LMV/ Motor cycle).
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled	Direct Recruitment failing which by deputation.

	by various methods.	
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation: Officer from the Central/ State Govt./ Universities/ Other autonomous organizations. i. Holding analogous post on regular basis. OR ii. With three years regular service in the relevant field in the Level 5.
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SECURITY INSPECTOR

1	Name of Post	Security Inspector
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 5
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: Bachelor's Degree from a recognized University/ Institution with three years' experience as Security Supervisor / Supervisory Position in Security in a Govt. Office, Educational Institute / Private Organisation of repute with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more. OR Persons who have served in the Army or such Uniformed service with at least Class 10th standard pass or Army Class I examination or an equivalent examination. AND Holding a valid Driving License (LMV / Motor cycle).
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	100% by Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

SECURITY ASSISTANT

1.	Name of Post	Security Assistant
2.	Number of Post	As per UGC approved sanctioned strength of the University

3.	Classification of the post	Group 'C'
4.	Scale of Pay/Pay Band/Grade Pay/Pay Level	Level 2
5.	Selection or Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits	32 Years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 1. Should have passed Intermediate examination from a recognized examining body or an equivalent qualification from an Army Establishment. 2. Should be an Ex-Army/Para-Military Personnel with proper discharge certificate with Medical Category "AYE" and Character "Very Good" or equivalent.
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any.	Two Years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Direct recruitment through Written Test and Skill Test (if required)
11.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	Not Applicable
12.	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

GUEST HOUSE MANAGER

1	Name of Post	Guest House Manager
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – B
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 6
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	35 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 1. Bachelor's Degree in Hotel Management or allied field from a recognized University / Institution with one year relevant experience OR 2. Knowledge of Computer applications
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct	Not Applicable

	recruits will apply in the case of promotions	
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

COOK

1	Name of Post	Cook
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 2
5	Whether Selection or non-selection post	Not applicable.
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Qualifications: 1. 10 th Class from a recognized Board. 2. ITI Trade certificate in Bakery and Confectionery (one year duration) 3. 03 years experience in cooking / catering services in educational institutions/ guest houses, at least 3 starred hotels or similar organisations.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable

12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)
----	---	--

KITCHEN ATTENDANT

1	Name of Post	Kitchen Attendant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: 1. 10 th Pass from any State/ Central School / Board. OR ITI Trade Certificate in the relevant trade. 2. Two years' experience in cooking/ catering services in a Canteen/ reputed Hotel/ Guest Houses of reputed organizations/ University
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

HOSTEL ATTENDANT

1	Name of Post	Hostel Attendant
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 1
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years

7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: (i) 10 th Pass from any State/ Central School / Board OR ITI Pass (ii) At least two years of experience in a Hostel / Canteen/ Hotel/ GuestHouse etc.
8	Whether Age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

DRIVER

1	Name of Post	Driver
2	Number of Post (s)	As per UGC approved sanctioned strength of the University
3	Classification	Group – C
4	Scale of Pay/Pay Band / Grade Pay	Level 2
5	Whether Selection or non-selection post	Not Applicable
6	Age Limit for Direct Recruits	32 Years
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential Qualifications: (i) 10 th Pass from any recognized Board (ii) Possession of a Valid Commercial Driving License for Light/ Medium/ Heavy Vehicles issued by the Competent authority having no adverse endorsement (iii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (iv) Experience of driving motor vehicles for at least 05 years in an organization.
8	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by	Direct Recruitment through driving test, knowledge of traffic rules and skill test.

	deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	
11	In case of recruitment grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
12	Composition of DPC or Selection Committee	As per Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) 2023 (schedule II)

***Note: For promotion to different higher grades of Driver, Staff car driver rules of GoI shall be applicable.**

Schedule-II
Selection Committee for Direct Recruitment /Departmental Promotion
Committee/Departmental Confirmation Committee of the Non-Teaching
Employees

(1) The following shall be the constitution of the Selection Committees:

(a) For Group 'A' posts (other than statutory posts and those covered under the UGC Regulations):

1.	Vice Chancellor/Pro Vice Chancellor* (*in the absence of Vice Chancellor)	:	Chairperson
2.	Two experts, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3	Head of the Unit/Department	:	Member
4	One member of the EC nominated by it.	:	Member
5	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that category.	:	Member
6	Registrar	:	Member

(b) For Group 'B' posts:

1.	Pro Vice Chancellor/ Registrar* (*in the absence of Pro Vice Chancellor)	:	Chairperson
2.	Two experts, not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3	Head of the Unit/ Department	:	Member
4	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that category.	:	Member
5	Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar	:	Member

(c) For **Group ‘C’** posts:

1.	Registrar	:	Chairperson
2.	Two experts, not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor out of the panel approved by the EC.	:	Member
3.	Head of the Unit/Department	:	Member
4.	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that category.	:	Member
5.	Joint Registrar/Deputy Registrar	:	Member

d) For Non-Teaching statutory posts (Registrar, Finance Officer & Controller of Examination):

In accordance with Statute-18 of the Central Universities Act 2009, there shall be a Selection Committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to the post of Registrar, Finance Officer & Controller of Examination:

1.	Vice Chancellor (In the absence of the Vice Chancellor the Pro-Vice Chancellor shall convene and preside at the meeting of the Selection Committee)	:	Chairperson
2.	A Nominee of the visitor	:	Member
3.	Two members of the Executive Council nominated by it.	:	Member
4.	One person not in the service of the university nominated by the Executive Council	:	Member
5.	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that category.	:	Member

Note (Statute -18) :

Provided that the meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts nominated by the Executive council:

Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless,

- Where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is four in all, at least three of them attend the meeting; and*
- Where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is three in all, at least two of them attend the meeting.*
- The procedures to be followed by the Selection committee shall be laid down in the Ordinances.*
- If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by the Selection committee, it shall record its reason and submit the case to the Visitor for final orders.*

2. Following shall be the constitution of the Departmental Promotion Committee:

(a). For **Group ‘A’** posts (other than statutory posts):

1.	Vice-Chancellor/Pro Vice-Chancellor*(*in the absence of Vice Chancellor)	:	Chairperson
2.	One expert, not in service of the University, nominated by the Vice-Chancellor	:	Member
3.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
4.	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that	:	Member

	category.		
5	Registrar	:	Member

(b). For **Group 'B'**:

1.	Pro Vice Chancellor/Registrar* (*in the absence of Pro Vice Chancellor)	:	Chairperson
2.	One expert, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor	:	Member
3.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
4.	A representative of SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that category.	:	Member
5.	Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar		Member

(c). For **Group 'C'**:

1.	Registrar	:	Chairperson
2.	One expert, not in service of the University, nominated by the Vice-Chancellor	:	Member
3.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
4.	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that category.	:	Member
5	Joint Registrar/Deputy Registrar of the unit concerned	:	Member

(3) Following shall be the constitution of the Departmental Confirmation Committee:a. For **Group 'A'** posts (other than statutory posts)

1.	Vice-Chancellor/Pro Vice-Chancellor*(*in the absence of Vice-Chancellor)	:	Chairperson
2.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
3.	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that category.	:	Member
4	Registrar	:	Member

b. For **Group 'B'** posts:

1.	Pro Vice-Chancellor/Registrar* (*in the absence of Pro Vice-Chancellor)	:	Chairperson
2.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
3.	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that	:	Member

	category.		
4.	Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar		Member

c. For **Group ‘C’** posts:

1.	Registrar	:	Chairperson
2.	Head of the concerned Unit/Department	:	Member
3.	A representative of the SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidate(s) representing these categories is/are the applicant(s), and if any of the above-mentioned members of the Selection Committee does not belong to that category.	:	Member
4	Joint Registrar/Deputy Registrar of the unit concerned	:	Member

The representative of the Minority shall be associated in the Selection Committee if the number of vacancies is 10 or more than 10.

Quorum:

Two-thirds of the members shall form the quorum for the meeting of a Selection Committee, which shall include the Chairperson, the Vice-Chancellor's nominee (wherever applicable), at least one external expert out of the two experts and one representative from the respective reserved category as per requirement.

Two-thirds of the members shall form the quorum for the meeting of a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee.

PROF. C. SHEELA REDDY, Registrar i/c.

[ADVT.-III/4/Ext./278/2025-26]